मन्सब-ए ख़िलाफ़त

(ख़िलाफ़त की गरिमा)

भाषण

हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब
ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ि अल्लाह अन्हु

मन्सब-ए-ख़िलाफ़त

(ख़िलाफ़त की गरिमा)

जमाअत के नुमाइन्दों से एक महत्त्वपूर्ण ख़िताब

भाषण

हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद
ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ि०

नाम पुस्तक : मन्सब-ए-ख़िलाफ़त
Name of book : Mansab-E-Khilafat
लेखक : हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद
ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय[रज़ि.]
Writer : Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood
Ahmad Khalifatul Masih II
अनुवादक : अली हसन एम.ए., एच.ए.
Translator : Ali Hasan M.A., H.A.
सैटिंग : नईम उल हक़ कुरैशी मुरब्बी सिलसिला
Setting : Naeem Ul Haque Qureshi Murabbi silsila
संस्करण : प्रथम संस्करण (हिन्दी) मई 2018 ई.
Edition : 1st Edition (Hindi) May 2018
संख्या, Quantity : 1000
प्रकाशक : नज़ारत नश्र-व-इशाअत,
क़ादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Publisher : Nazarat Nashr-o-Isha'at,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)
मुद्रक : फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस,
क़ादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Printed at : Fazl-e-Umar Printing Press,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)

मन्सब-ए-ख़िलाफ़त

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ (अल बक़र: - 130)

इस आयत में अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बारे में एक पेशगोई का वर्णन किया है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के रंग में है। जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के नवनिर्माण के समय की थी कि:-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

यह दुआ एक व्यापक रंग में है। इसमें अपनी नस्ल में से एक नबी के पैदा होने की दुआ की। फिर उसी दुआ में यह बताया कि नबियों के क्या काम होते हैं, उनके आने का उद्देश्य क्या होता है? साथ यह भी दुआ की कि उनमें एक रसूल हो जो उन्हीं में से हो।

नबियों के प्रादुर्भाव का उद्देश्य

वह रसूल जो पैदा हो उसका **पहला काम** यह हो कि –

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

वह तेरी आयात उनको पढ़कर सुनाए

दूसरा काम وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमुहुमल किताब) अर्थात् उनको किताब सिखाए।

तीसरा काम وَالْحِكْمَةَ (वल हिकमत) अर्थात् उनको हिकमत सिखाए।

चौथा काम وَيُزَكِّيْهِمْ (व युज़क्कीहिम) अर्थात् उनको पाक करे।

मैंने ग़ौर करके देखा है कि दुनिया के सुधार का कोई काम ऐसा नहीं जो इससे बाहर रह जाता हो। इस दृष्टि से आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का काम दुनिया के तमाम् सुधारों को अपने अन्दर रखता है।

ख़लीफ़ाओं का काम

नबियों के प्रादुर्भाव के उद्देश्य पर ग़ौर करने के बाद यह समझना बहुत आसान है कि ख़लीफ़ाओं का भी यही काम होता है। क्योंकि ख़लीफ़ा जो होता है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि अपने पेशवा के काम को जारी रखे। इसलिए जो काम नबी का होगा वही ख़लीफ़ा का होगा। अब अगर आप ध्यानपूर्वक उपरोक्त आयत को देखें तो एक तरफ़ नबी का काम और दूसरी तरफ़ ख़लीफ़ा का काम स्पष्ट हो जाएगा।

मैंने दुआ की थी कि इस अवसर पर क्या बोलूँ? तो अल्लाह तआला ने मेरा ध्यान इस आयत की ओर फेर दिया और मुझे इसी आयत में वह सारे काम नज़र आए जो मेरे उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि इस अवसर पर कुछ बातें पेश कर दूँ।

सच्ची जमाअत देने पर ख़ुदा का शुक्र

इससे पहले कि मैं दलील पेश करूँ मैं ख़ुदा तआला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने एक ऐसी जमाअत पैदा कर दी जिसके दिए जाने का नबियों से ख़ुदा तआला का वादा होता है। अतः मैं देखता हूँ कि चारों तरफ़ से सिर्फ़ दीन के ख़ातिर इस्लाम की इज़्ज़त के लिए अपना रुपया और समय खर्च करके लोग आए हैं। मैं जानता हूँ और पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि अल्लाह तआला ऐसे निष्ठावान लोगों की मेहनत को कभी नष्ट नहीं करेगा। वह उन्हें अच्छे से अच्छा प्रतिफल देगा क्योंकि वे उस वादे के अनुसार आए हैं जो ख़ुदा तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से किया था। इसलिए जब मैंने कल दर्स में उन दोस्तों को देखा तो मेरा दिल ख़ुदा की प्रशंसा और शुक्र से भर गया कि ये लोग ऐसे आदमी के लिए आए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह चालबाज़ है। फिर मेरे दिल में और भी जोश पैदा हुआ जब मैंने देखा कि वे मेरे दोस्तों के बुलाने पर ही जमा हो गए हैं। इसलिए आज रात को मैंने बहुत दुआएँ कीं और अपने रब्ब से कहा कि ख़ुदाया मैं तो बहुत ग़रीब हूँ, मैं इन लोगों को क्या दे सकता हूँ तू ही अपने ख़ज़ानों को इन पर खोल दे और इनको जो सिर्फ दीन के लिए यहाँ जमा हुए हैं अपने फ़ज़्ल से हिस्सा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ख़ुदा तआला इन दुआओं को ज़रूर सुनेगा। मुझे याद नहीं मैंने जब कभी दर्देदिल और बड़ी गिड़गिड़ाहट से दुआ की हो और वह क़ुबूल न हुई हो। बच्चा भी जब दर्द से चिल्लाता है तो माँ की छातियों में दूध उतर आता है। जब एक बच्चे के लिए क्षणस्थायी और सामयिक लगाव के बावजूद उसके चिल्लाने पर छातियों में दूध उतर आता है तो यह असम्भव है कि ख़ुदा तआला की सृष्टि में से कोई गिड़गिड़ाकर दर्देदिल से उससे दुआ करे

और वह क़ुबूल न हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह दुआ ज़रूर क़ुबूल होती है। यह व्यवहार मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर आदमी के साथ है। अतः ख़ुदा तआला फ़रमाता है:-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ (अल बक़र: - 187)

कि हे रसूल? जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुझसे पूछें, तो उनसे कह दे कि मैं तुम्हारे निकट हूँ और पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ और उसे क़ुबूल करता हूँ। यहाँ यह नहीं फ़रमाया कि मैं केवल मुसलमान या किसी ख़ास देश या ख़ास क़ौम के आदमी की दुआ सुनता हूँ। बल्कि कोई भी हो, कहीं का हो और कहीं पर हो।

इस क़ुबूलियत-ए-दुआ की शर्त यह होती है कि-

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ

पहले मेरी हस्ती को स्वीकार करे और मेरे आदेशों का पालन करे और मुसलमान होकर मोमिन होने के बाद ईमान में तरक़्क़ी करे। काफ़िर (अधर्मी) की दुआएँ इसलिए क़ुबूल करता हूँ कि वह मुझ पर ईमान लाए और मोमिन बन जाए और मोमिन की इसलिए क़ुबूल करता हूँ कि वह हिदायत और विश्वास में उन्नति करे। ख़ुदा तआला के जानने और पहचानने का सबसे अच्छा ढंग दुआ ही है। मोमिन की उम्मीदें इसी से बढ़ती हैं। अतः मैंने भी बहुत दुआएँ की हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह क़ुबूल होंगी।

फिर मैंने उसके सामने दुआ की कि मैं इन लोगों के सामने क्या कहूँ, तू ख़ुद मुझे बता और समझा। मैंने इस फ़ित्ना को देखा जो इस समय पैदा हुआ है मैंने अपने आपको इस योग्य न पाया कि उसके

सामर्थ्य और समर्थन के बिना इसको दूर कर सकूँ। मुझे उसी पर सहारा है इसलिए मैं उसी के सामने झुका और दुआ की कि तू ही मुझे बता कि मैं इन लोगों को क्या कहूँ जो जमा हुए हैं, उसने मेरे दिल को इसी आयत की ओर फेरा और मुझ पर उन रहस्यों को खोला जो इसमें बयान हुए हैं। मैंने देखा कि ख़िलाफ़त के सारे कर्तव्य और काम इस आयत में बयान कर दिए गए हैं, तब मैंने इसी को इस समय तुम्हारे सामने पढ़ा।

ला ख़िलाफ़ता इल्ला बिल् मशवरति (अर्थात् बिना परामर्श के ख़िलाफ़त जायज़ नहीं)

मेरा मानना है कि बिना मशवरा के ख़िलाफ़त जायज़ नहीं। इसी सिद्धान्त पर तुम लोगों को यहाँ बुलवाया गया है और मैं ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल से इस पर क़ायम हूँ और दुआ करता हूँ कि इस पर क़ायम रहूँ। मैंने चाहा कि मशवरा लूँ लेकिन यह नहीं जानता था कि क्या मशवरा लूँ। मेरे मित्रों ने कहा कि मशवरा होना चाहिए तो मैंने उसका स्पष्टीकरण नहीं पूछा। चूँकि मैं मशवरा को पसन्द करता हूँ इसलिए उनसे सहमत हुआ और उन्होंने आपको बुला लिया। मुझे कल तक पता न था कि क्या कहूँ लेकिन जब ख़ुदा से दुआ की तो यह आयत मेरे दिल में डाली गई कि इसे पढ़ो।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की व्याख्या -

इस आयत की तिलावत से पता चलता है कि नबी या ख़लीफ़ा का पहला काम यह होता है कि वह अल्लाह की आयतें लोगों को सुनाए। अत: आयत उस निशान या दलील को कहते हैं जिससे किसी चीज़ का पता चले। अत: नबी जो अल्लाह की आयतें पढ़ता है उसका यह अर्थ है कि वह ऐसी दलीलें सुनाता और पेश करता है जो अल्लाह तआला

की हस्ती और उसकी तौहीद(एकेश्वरवाद) पर संकेत करती हैं और उनके द्वारा अल्लाह तआला के फ़रिश्तों, रसूलों, और उसकी किताबों का समर्थन और सत्यापन होता है। अतः इस आयत में यह दुआ की गई है कि वह लोगों को ऐसी बातें सुनाए जिनसे उनको अल्लाह पर और उसके नबियों और उसकी किताबों पर दृढ़ विश्वास प्राप्त हो।

पहला काम -

इससे ज्ञात हुआ कि नबी या उसके जानशींन ख़लीफ़ा का पहला काम तब्लीग़-ए-हक़ और लोगों को नेकियों की तरफ़ बुलाना होता है। वह सच्चाई की तरफ़ लोगों को बुलाता है और अपनी बात को दलीलों और निशानों के द्वारा विश्वसनीय बनाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वह सच्चाई की तब्लीग़ करता है।

दूसरा काम –

फिर नबी या ख़लीफ़ा का दूसरा कर्तव्य इस आयत में यह बयान किया गया है कि –

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल किताब) अर्थात् लोगों को किताब सिखावे। इन्सान जब इस बात को मान ले कि अल्लाह तआला है और उसकी तरफ़ से दुनिया में रसूल आते हैं और उन पर अल्लाह के फ़रिश्ते उतरते हैं और उनके माध्यम से अल्लाह तआला की किताबें नाज़िल होती हैं तो इसके बाद दूसरा मरहला कर्म का आता है। क्योंकि ख़ुदा तआला पर ईमान लाने के बाद दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अब ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए तो उस ज़रूरत को पूरा करने वाली आसमानी शरीअत होती है और नबी का दूसरा काम यह होता है

कि नए ईमान लाने वालों को शरीअत सिखाए कि उन हिदायतों और शिक्षाओं का पालन करना ज़रूरी होता है जो ख़ुदा के रसूलों के द्वारा आती हैं। अतः इस अवसर पर नबी का दूसरा काम यह बताया गया है कि वह उन्हें कर्तव्यों की शिक्षा दे।

किताब का अर्थ क़ानून और कर्तव्य है। क़ुर्आन मजीद में यह शब्द कर्तव्य के अर्थों में भी प्रयोग हुआ है जैसे -

(अल बक़रः - 184) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

(तुम पर रोज़ों का रखना अनिवार्य किया गया है)

इस क्रम को अच्छी तरह याद रखो कि पहला काम लोगों को इस्लाम अर्थात् सच्चाई और नेकियों की तरफ़ लाना था और दूसरा उनको शरीअत (क़ानून) सिखाने और उसका अनुपालक बनाने का।

तीसरा काम -

कर्म के लिए एक और बात की ज़रूरत होती है। इन्सान के अन्दर किसी काम को करने के लिए उस समय तक जोश और शौक़ नहीं पैदा हो सकता जब तक उसे उसकी हक़ीक़त और हिकमत समझ में न आ जाए। इसलिए तीसरा काम यहाँ यह बयान किया कि - وَالْحِكْمَةَ (वल् हिकमत)

फिर वह उनको हिकमत की शिक्षा दे, अर्थात् जब वे व्यवहारिक रूप से काम करने लग जाएँ तो फिर उन कामों की हक़ीक़त और हिकमत उन्हें बताए। जैसे एक आदमी ज़ाहिरी तौर पर नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने की हिदायत और शिक्षा देना وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) के अन्तर्गत आता है और नमाज़ क्यों फ़र्ज़ (अनिवार्य) की गई और इसके क्या उद्देश्य हैं? इसकी हक़ीक़त से अवगत कराना यह तालीम-ए-हिकमत है। इन दोनों बातों का उदाहरण क़ुर्आन शरीफ़ से ही

देता हूँ। क़ुर्आन शरीफ़ में आदेश है कि - اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (अक़ीमुस् सलात्) नमाज़ें पढ़ो, यह आदेश मानो وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) के अन्तर्गत है दूसरी जगह यह फरमाया -

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (अलअनकबूत - 46)

(इन्नस् सलाता तनहा अनिल् फ़ह्शाइ वल् मुन्करि) अर्थात् नमाज़ बुराइयों और अश्लील बातों से रोकती है, इसमें नमाज़ की हिकमत बयान फ़रमायी है कि नमाज़ का उद्देश्य क्या है? इसी तरह फिर नमाज़ की मुद्राएँ रुकूअ, सुजूद, क़याम और क़अदा की हिकमत बताई जाए और ख़ुदा के फ़ज़्ल से मैं यह सब बता सकता हूँ। अतः नबी या उसके ख़लीफ़ा का तीसरा काम यह होता है कि वह शरीअत के आदेशों की हिकमत से लोगों को आगाह करता है।

अतः ईमान के लिए يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ (यत्लू अलैहिम् आयातिही) फिर उसके बाद व्यवहारिक कार्यों के लिए يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) फिर उन कामों में एक जोश और शौक़ पैदा करने और उनकी हकीकत बताने के लिए وَالْحِكْمَةَ (वल् हिकमत्) फ़रमाया। नमाज़ के बारे में मैंने केवल एक उदाहरण दिया है अन्यथा अल्लाह तआला ने सारे आदेशों में हिकमतें रखी हैं।

चौथा काम

फिर चौथा काम यह फ़रमाया وَيُزَكِّيْهِمْ (व युज़क्कीहिम्) कि हिकमत की शिक्षा देने के बाद उन्हें पवित्र करे। पवित्र करने का काम मनुष्य के अपने वश में नहीं बल्कि यह अल्लाह तआला के अधिकार में है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जब यह अल्लाह तआला के अधिकार में है तो नबी को क्यों कहा कि वह पाक करे। इसकी व्याख्या

मैं आगे बयान करूँगा, संक्षेप में मैं यहाँ यह बता देता हूँ कि इसका ज़रिया भी अल्लाह तआला ने स्वयं बता दिया है कि पाक करने का क्या ढंग है और वह ज़रिया दुआ है। अतः नबी को जो आदेश दिया गया है कि उन लोगों को पाक करे तो इससे तात्पर्य यह है कि उनके लिए अल्लाह तआला से दुआएँ करे।

इस आयत में अल्लाह तआला ने बड़े-बड़े रहस्य बयान किए हैं उनमें से एक यह है कि यह आयत सूरः बक़रः की तर्तीब का पता देती है। लोगों को सूरः बक़रः की तर्तीब में बड़ी अड़चनें आयीं हैं लोग हैरान होते हैं कि कहीं कुछ बयान हुआ है और कहीं कुछ, कहीं बनी इस्राईल का वर्णन आ जाता है, कहीं नमाज़ रोज़ा का, कहीं तलाक़ का, कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबाहसों का, कहीं तालूत का, इन सब बातों का आपस में जोड़ क्या है? अल्लाह तआला ने इस आयत के ज़रिया मुझे यह सब कुछ सिखा दिया है।

सूरः बक़रः की तर्तीब किस तरह समझायी गयी

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल[रज़ि.] के समय की घटना है कि मुंशी फ़र्ज़न्द अली साहिब ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे क़ुर्आन मजीद पढ़ना चाहता हूँ। उस समय उनसे मेरी ज़्यादा जान पहचान भी न थी। मैंने विवशता प्रकट की, लेकिन उन्होंने बार-बार विनती की। मैंने समझा कि कोई ख़ुदा की मंशा है, इसलिए मैंने उनको क़ुर्आन शुरू करा दिया। एक दिन मैं पढ़ा रहा था कि मेरे दिल में अचानक डाला गया कि आयत رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ (रब्बना वबअस् फ़ीहिम् रसूलन मिनहुम) सूरः बक़रः की कुंजी है और उसकी तर्तीब का राज़ इस आयत में रखा गया है। इसके साथ ही सूरः बक़रः की तर्तीब पूरी तरह

मेरी समझ में आ गई। अब अगर आप इस आयत को सामने रखकर सूरः बक़रः की तर्तीब पर ग़ौर करें तो सच्चाई मालूम हो जाएगी।

सूरः बक़रः की तर्तीब

अब ध्यानपूर्वक ग़ौर करो कि पहले बताया कि क़ुर्आन करीम का नाज़िल करने वाला समस्त ब्रह्माण्ड का ज्ञाता ख़ुदा है। फिर बताया कि क़ुर्आन मजीद की क्या ज़रूरत है। क्योंकि प्रश्न पैदा होता था कि विभिन्न धर्मों के होते हुए इस धर्म की क्या आवश्यकता थी और यह किताब ख़ुदा तआला ने क्यों नाज़िल की? तो इसका उद्देश्य बताया कि هُـدًى لِّلۡمُتَّقِـيۡنَ (हुदल् लिल्मुत्तक़ीन) कि सब धर्म तो केवल मुत्तक़ी (सदाचारी) बनाने का दावा करते हैं और यह किताब ऐसी है जो मुत्तक़ी को और आगे ले जाती है। मुत्तक़ी तो उसे कहते हैं जो इन्सानी कोशिश को पूरा करे और आगे ले जाने का यह अर्थ है कि अब ख़ुदा तआला स्वयं उससे बातें करे। फिर मुत्तक़ियों के काम बताए, फिर बताया कि इस किताब के मानने वालों और न मानने वालों में क्या फ़र्क़ होगा? फिर बताया कि इन्सान चूँकि ख़ुदा की इबादत के लिए पैदा हुआ है, इसलिए उसके लिए कोई हिदायतनामा चाहिए और वह हिदायतनामा ख़ुदा की ओर से आना चाहिए, फिर बताया कि ख़ुदा तआला की ओर से हिदायत आती भी रही है जैसे कि पहले आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसके बाद इसको और स्पष्ट किया और आदम का उदाहरण देकर बताया कि यह सिलसिला वहीं ख़त्म नहीं हो गया बल्कि नबियों का एक लम्बा सिलसिला बनी इस्राईल में जारी रहा और फ़रमाया जो मौजूद हैं उनसे पूछो कि हमने उन्हें कितनी नेमतें दी हैं, साथ यह भी फ़रमाया, कि ज़ालिम हम से बात करने के पात्र नहीं हो सकते। अब जब ये ज़ालिम

हो गए तो इनको हमारी वाणी सुनने का हक़ नहीं। अब हम किसी और ख़ानदान से (वार्तालाप का) सम्बन्ध जोड़ेंगे और वह बनी इस्माईल के सिवा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख़ुदा तआला ने वादा किया था कि दोनों बेटों के साथ नेक सुलूक करूँगा। जब एक से वादा पूरा हुआ तो अनिवार्य था कि दूसरे से भी पूरा हो। अतः बताया कि काबा के नवनिर्माण के समय इब्राहीम ने जो दुआ की थी वह अब पूरी होने लगी है और बार-बार

يٰبَنِيٓ اِسۡرَاءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِيَ الَّتِيۡٓ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ

(अल बक़र: - 41)

(या बनी इस्राईला उज़कुरू नेमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम)

फ़रमाकर यह बता दिया कि अब बनी इस्राईल को शिकायत करने का कोई हक़ नहीं, उनसे वादा पूरा हो चुका है। जिस ख़ुदा ने बनी इस्राईल का वादा पूरा किया, अवश्य था कि वह बनी इस्माईल का भी वादा पूरा करता। अतः इस तरह बनी इस्राईल पर अकाट्य और निर्णायक तर्क पूरा किया कि तुमने मेरी नेमतें पाने के बावजूद नाफ़रमानी की और विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ अपनाकर तुमने अपने आप को मेरी नेमतों से वंचित होने का पात्र ठहरा लिया है। तुम में नबी भी आए और बादशाह भी हुए, अब वही इनाम बनी इस्माईल पर होंगे।

इसके बाद यह सवाल पैदा होता था कि यह दुआ तो थी, पर हम कैसे मानें कि यह आदमी वही मौऊद (कथित) व्यक्ति है। इसका कोई सुबूत होना चाहिए। इसके लिए फ़रमाया, कि मौऊद होने का यह सुबूत है कि इस दुआ में जो बातें बयान की गई थीं वे सब इस मौऊद के अन्दर पाई जाती हैं और उसने इन सब वादों को पूरा कर दिया है इसलिए यही वह आदमी है। यद्यपि सारा क़ुर्आन शरीफ़ इन चार आवश्यकताओं को

पूरा करने वाला है। लेकिन इस सूर: में सारांशत: सारी बातें बयान कर दीं, ताकि आपत्तिकर्ता पर एक तर्क ठहरे। يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ (यत्लू अलैहिम् आयातिका) के सम्बन्ध में اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (इन्ना फ़ी ख़लक़िस्समावाति वल् अर्ज़) फ़रमाया और उसके अन्त में फ़रमाया لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (लआयातिल् लिक़ौमिन यअक़िलून) (अल बक़र: -165) कि इसमें बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत सी दलीलें हैं जिनसे ख़ुदा और उसकी वाणी,फ़रिश्ते और नबूवत इत्यादि का सुबूत मिलता है। इसके बाद था يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल किताब) इसके लिए साराशंत: इस्लामी क़ानून के मोटे-मोटे आदेश बयान किए और उनमें बार-बार كُتِبَ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ (कुतिबा अलैकुम, कुतिबा अलैकुम) फ़रमाकर यह बताया कि देखो इस मौऊद अवतार पर कितनी निष्कलंक (दोषरहित) शरीअत नाज़िल हुई है। इसलिए यह يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ (यत्लू अलैहिम् आयातिका) का भी पात्र है और يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) का भी। तीसरा काम यह बताया था कि लोगों को हिकमत सिखाए। इसलिए शरीअत के मोटे-मोटे आदेश बयान फ़रमाने के बाद क़ौमी तरक़्क़ी के राज़ और शरीअतों के उद्देश्यों का वर्णन किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की घटनाओं का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह क़ौमें तरक़्क़ी करती हैं और किस तरह मुर्दा क़ौमें ज़िन्दा की जाती हैं। अत: तुमको भी उन राहों को अपनाना चाहिए। फिर -

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ (अल बक़र: 270)

(व मंयूतल् हिकमता फ़क़द् ऊतिया ख़ैरन कसीरा) कहकर यह संकेत दिया कि लो तीसरा वादा भी पूरा हो गया, क्योंकि इस रसूल ने हिकमत की बातें भी सिखा दी हैं। उदाहरणत: हज़रत तालूत की घटना बयान

फ़रमाया कि उन्होंने आदेश दिया था कि नहर से कोई पानी न पिए और पीने वाले को ऐसी सज़ा दी कि उसे अपने से अलग कर दिया और बताया कि जब कोई आदमी छोटा सा आदेश नहीं मान सकता तो वह बड़े-बड़े आदेश कैसे मान सकता है, साथ यह भी बताया कि युद्ध के समय हाकिम की किस तरह आज्ञापालन करनी चाहिए। इसमें यह भी बताया कि ख़लीफ़ाओं पर ऐतराज़ हुआ ही करता है, लेकिन अन्ततः ख़ुदा तआला उनको ही विजयी करता है। इन आदेशों को बताने के बाद लोगों को पाक करने की बारी रह गई थी, इसलिए उसके लिए यह प्रबन्ध किया कि इस सूरः को दुआ पर ख़त्म किया, जिसमें यह बताया कि पवित्र होने का ढंग दुआ है अर्थात् नबी भी दुआ करे और जमाअत को भी दुआ की शिक्षा दे। आप लोग इस सूरः को अब पढ़कर देखें जिस क्रम से वर्णित आयत में शब्द हैं, उसी क्रम से इस सूरः में आयात और किताब और हिकमत और पाक होने का ढंग बयान फ़रमाया है। इसलिए यह आयत इस सूरः की कुंजी है जो अल्लाह तआला ने मेरे हाथ में दी है।

सारांश

सारांशतः बयान फ़रमाया कि नबी का काम तब्लीग़ करना,अधर्मियों को मोमिन बनाना, मोमिनों को शरीअत पर क़ायम करना, फिर बारीक दर बारीक रहस्यों को समझाना, फिर उनकी तज़्किया-ए-नफ़्स अर्थात् आत्मशुद्धि के लिए दुआ करना, यही काम ख़लीफ़ा के होते हैं। अब याद रखो कि अल्लाह तआला ने इस समय मेरे यही काम रखे हैं।

अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाने में अल्लाह तआला की हस्ती पर दलाइल, फ़रिश्तों पर दलाइल, नबूवत की आवश्यकता और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत पर दलाइल,क़ुर्आन शरीफ़ की

सच्चाई पर दलाइल, इल्हाम और वह्यी की आवश्यकता पर दलाइल,दण्ड और प्रतिफल और तक़दीर के विषय पर दलाइल,और क़यामत इत्यादि पर दलाइल शामिल हैं ये साधारण काम नहीं। इस ज़माने में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और यह बहुत बड़ा काम है।

फिर يُعَلِّمُـهُمُ الْكِتٰـبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) दूसरा काम है कि बार-बार शरीअत की ओर ध्यान दिलाए और ख़ुदा के आदेश एवं निषेद्धादेश के पालन के लिए याददहानी कराता रहे, जहाँ सुस्ती हो उसको दूर करने का इन्तिज़ाम करे। अब तुम ख़ुद ग़ौर करो कि क्या ये काम चन्द क्लर्कों के द्वारा हो सकते हैं और क्या ख़लीफ़ा का इतना ही काम रह जाता है कि वह चन्दों की निगरानी करे और देख ले कि हिसाब-किताब का दफ़्तर है, उसमें चन्दा आता है और चन्द मेम्बर मिलकर उसे खर्च कर दें। संस्थाएँ दुनिया में बहुत हैं और बड़ी-बड़ी हैं जहाँ लाखों रुपया सालाना आता है और वे खर्च करती हैं,मगर क्या वे ख़लीफ़ा बन जाती हैं?

ख़लीफ़ा का काम कोई साधारण और क्षुद्र काम नहीं, यह ख़ुदा तआला का विशेष सम्मान और इनाम है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पसन्द किया जाता है। तुम स्वयं ग़ौर करके देखो कि यह काम जो मैंने बताए हैं अर्थात् मैंने नहीं ख़ुदा ने बताए हैं, क्या किसी अन्जुमन का सेक्रेट्री इसको कर सकता है? इन विषयों में क्या कोई सेक्रेट्री की बात मान सकता है? या आज तक कहीं इस पर पालन हुआ है? दूसरी जगह को छोड़ो यहीं ही बता दो कि कभी अन्जुमन के द्वारा यह काम हुआ हो? हाँ चन्दों की याददहानियाँ अवश्य होती रहती हैं।

यह पक्की बात है कि يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब)

के लिए ख़लीफ़ा ही होता है किसी अन्जुमन के सेक्रेटरी के लिए यह शर्त कहाँ है कि वह पाक भी हो। सम्भव है कि आवश्यकतानुसार ईसाई रखा जावे या हिन्दू हो, जो दफ़्तरों का काम सही तौर पर कर सके। फिर वह ख़लीफ़ा कैसे हो सकता है?

ख़लीफ़ा के लिए शरीअत (धर्मविधान) की शिक्षा देना आवश्यक है, जो उसके कर्तव्यों में शामिल है। सेक्रेटरी के कर्तव्यों में पढ़कर देख लो कहीं भी यह शामिल नहीं। फिर ख़लीफ़ा का यह काम है कि ख़ुदा तआला के आदेशों के रहस्य और उद्देश्य बयान करे जिनकी जानकारी से उनके पालन पर रुचि और शौक़ पैदा होता है। मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी अन्जुमन के सेक्रेटरी के कर्तव्यों में यह बात पाई जाती है? कितनी बार ख़ुदा के आदेशों की हक़ीक़त और फ़िलास्फ़ी अन्जुमन की तरफ़ से आपको समझायी गयी? क्या इस प्रकार के सेक्रेटरी रखे जा सकते हैं? या अन्जुमनें इस विशिष्ट काम को कर सकती हैं? कदापि नहीं।

अन्जुमनें केवल इस काम के लिए होती हैं कि वे बहीखाते रखें और ख़लीफ़ा के आदेशों को जारी करने के लिए कोशिश करें। फिर ख़लीफ़ा का यह भी काम है कि वह क़ौम को बुराइयों से पाक करे। क्या कोई सेक्रेटरी इस फ़र्ज़ को अदा कर सकता है? क्या किसी अन्जुमन की तरफ़ से यह हिदायत जारी हुई या तुमने सुना है कि किसी सेक्रेटरी ने कहा हो कि मैं क़ौम के पाक होने के लिए रो-रोकर दुआएँ करता हूँ?

मैं सच-सच कहता हूँ कि यह काम सेक्रेटरी का है ही नहीं और न कोई सेक्रेटरी यह कह सकता है कि मैं क़ौम की पाकीज़गी के लिए रो-रोकर दुआएँ करता हूँ। झूठा है वह जो यह कहता है कि अन्जुमन

यह काम कर सकती है। मैं ख़ुदा की क़सम खाकर कहता हूँ कि कोई सेक्रेटरी यह काम नहीं कर सकता और न कोई अन्जुमन नबी के काम कर सकती है। अगर अन्जुमनें यह काम कर सकतीं तो ख़ुदा तआला दुनिया में नबी और रसूल न भेजता बल्कि उनकी जगह अन्जुमनें बनाता। किसी एक अन्जुमन का नाम बताओ जिसने यह कहा हो कि ख़ुदा ने हमें आदेश दिया है।

दुनिया की कोई अन्जुमन नहीं है जो यह काम कर सके। मेम्बर तो इकट्ठे होकर कुछ विषयों पर निर्णय करते हैं। क्या कभी किसी अन्जुमन में इस आयत पर भी ग़ौर किया गया है? याद रखो ख़ुदा तआला जिसके सुपुर्द कोई काम करता है उसी को बताता है कि तेरे यह-यह काम हैं, यह काम नबियों और ख़लीफ़ाओं के होते हैं। रुपया इकट्ठा करना छोटे दर्जे का काम है। ख़लीफ़ाओं का काम लोगों की तरबियत और उनको ख़ुदा तआला के अध्यात्मज्ञान और विश्वास के साथ पाक करना होता है। रुपया तो आर्यों और ईसाइयों बल्कि नास्तिकों की अन्जुमनें भी जमा कर लेती हैं। अगर किसी नबी या उसके ख़लीफ़ा का भी यही काम हो तो यह उस नबी या ख़लीफ़ा का घोर अनादर और अपमान है।

यह सच है कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो उसके ज़िम्मे होते हैं उसको भी रुपयों की ज़रूरत होती है और वह भी مَنْ اَنْصَارِیْٓ اِلَی اللّٰہِ (मन् अन्सारी इलल्लाह) (अर्थात् अल्लाह के लिए मेरा कौन मददगार है)

कहता है मगर इससे उसका उद्देश्य रुपया जमा करना नहीं होता, बल्कि इस रंग में भी उसकी मंशा वही उद्देश्यों की पूर्ति और क़ौम को बुराइयों से बचाने की होती है। फिर भी इस काम के लिए उसकी गठित

एक अन्जुमन या शूरा होती है जो प्रबन्ध करे। मैं फिर कहता हूँ कि ख़लीफ़ा का काम रुपया जमा करना नहीं होता और न उसकी इच्छाओं और कार्यों का दायरा किसी मदर्सा के जारी करने तक सीमित होता है यह काम तो दुनिया की दूसरी क़ौमें भी करती हैं।

ख़लीफ़ा के इस प्रकार के कामों और दूसरी क़ौमों के कामों में अन्तर होता है। वह इन चीज़ों को प्रारंभिक तौर पर स्रोत और साधनों के रूप में अपनाता है या अपनाने की हिदायत देता है। दूसरी क़ौमें इसको एक चरम उद्देश्य के रूप में अपनाती हैं।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मदर्सा बनाया उसका वह उद्देश्य न था जो दूसरी क़ौमों के मदरसों का है। इसलिए याद रखो कि ख़लीफ़ा के जो काम होते हैं वे किसी अन्जुमन के द्वारा नहीं हो सकते।

इस क़ौमी इज्लास का क्या उद्देश्य है

अब आपको जो बुलाया गया है तो ख़ुदा तआला ने मेरे दिल में डाला कि मैं उन कामों के बारे में जो ख़ुदा तआला ने मेरे सुपुर्द किए हैं आपसे मशवरा लूँ कि उन्हें किस तरह करूँ? मैं जानता हूँ और इतना ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि वह ख़ुद मेरा मार्गदर्शन करेगा कि मुझे किस तरह उनको करना चाहिए, उसी ने मशवरा का भी आदेश दिया है। ये काम उसने ख़ुद बताए हैं, उसने स्वयं मेरे दिल में परसों मग़रिब या अस्र की नमाज़ के समय इस आयत को सहसा डाला जो मैंने पढ़ी है। मैं हैरान था कि बुला तो लिया है लेकिन कहूँ क्या? इस पर उसने यह आयत मेरे दिल में डाली।

अत: नबियों और उनके जानशींनों के यह चार काम हैं उन्हें करने में मुझे तुमसे मशवरा करना है। मैं अब उन कामों को और बढ़ाता हूँ।

चार नहीं बल्कि आठ

मैं इस आयत की एक और व्याख्या करता हूँ जब इन पर मैंने ग़ौर किया तो मालूम हुआ कि इन चार में और भी अर्थ छुपे थे और इस तरह से यह चार आठ बन जाते हैं।

(1) يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ (यत्लू अलैहिम् आयातिही)

इसका अर्थ एक यह करता हूँ कि काफ़िरों (अधर्मियों) को मोमिन (धर्मपरायण) बना दे अर्थात् तब्लीग़ करे और दूसरा यह कि मोमिनों को आयात सुनाए। इस दशा में ईमान की तरक़्क़ी या ईमान की दुरुस्ती भी एक काम होगा और यह दो हो गए।

(2) يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब)

क़ुर्आन शरीफ़ की किताब मौजूद है इसलिए इसकी शिक्षा में क़ुर्आन शरीफ़ का पढ़ना पढ़ाना और क़ुर्आन शरीफ़ का समझाना भी शामिल है। इसलिए काम यह होगा कि ऐसे मदरसे हों जहाँ क़ुर्आन मजीद की शिक्षा दी जाए। फिर उसके समझाने के लिए ऐसे उस्ताद हों जो उसका तर्जुमा सिखाएँ और वे शास्त्र (विद्याएँ) पढ़ाएँ जो उसके सेवक और समर्थक हों। ऐसी दशा में धार्मिक मदरसों के बनाने और उनको जारी करने का काम होगा। इस शब्द के अन्तर्गत दूसरा काम क़ुर्आन शरीफ़ के आदेशानुसार व्यवहृत कराना होगा। क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की होती है एक किसी किताब का पढ़ा देना और दूसरे उस पर व्यवहृत कराना।

(3) وَالْحِكْمَةَ (हिकमत) हिकमत की शिक्षा के लिए परामर्श और प्रस्ताव होंगे। क्योंकि इस काम के अन्तर्गत शरीअत (धर्मविधान) के आदेशों के रहस्यों से अवगत कराना ज़रूरी है।

(4) وَيُزَكِّيْهِمْ (युज़क्कीहिम्) इसके अर्थों पर ग़ौर किया तो एक तो यह है जो मैं बयान कर चुका हूँ कि दुआओं के द्वारा जमाअत

को गुनाहों से बचाने की कोशिश करे। फिर इब्नि अब्बास रजि. के अनुसार इसका अर्थ अल्लाह तआला के आदेशों का पालन और उस पर सच्ची श्रद्धा पैदा करना भी है। इसलिए एक अर्थ तो यह हुआ कि गुनाहों से बचाने की कोशिश करे, इसलिए जमाअत को गुनाहों से बचाना ज़रूरी ठहरा, ताकि वह गुनाहों में न पड़े। इसके अतिरिक्त दूसरे अर्थों की दृष्टि से यह काम ठहरा कि केवल गुनाहों से ही न बचाए बल्कि उनमें नेकी पैदा करे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि पहले तो वे उपाय अपनाए जिनसे जमाअत के गुनाह दूर हों फिर उनको अच्छा बनाकर दिखावे, फिर उन्हें मानवता के उच्च स्तरों पर ले जावे और उनमें श्रद्धा और आज्ञापालन की भावना पैदा करे। फिर "युज़क्कीहिम्" का तीसरा अर्थ यह है कि वह उनको बढ़ाए, इन अर्थों की दृष्टि से धार्मिक एवं सांसारिक विषयों में आगे बढ़ाना आवश्यक ठहरा। अतः यह उन्नति हर एक दृष्टिकोंण से होनी चाहिए, भौतिक ज्ञानों में दूसरों से पीछे हों तो उसमें उनको आगे ले जावे, संख्या में कम हों तो बढ़ाए, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हों तो उन्हें आगे बढ़ाए, तात्पर्य यह कि जिस रंग में भी कमी हो उसे दूर करने की कोशिश करता रहे। अब इन अर्थों की दृष्टि से जमाअत को हर एक तरक़्क़ी तक पहुँचाना नबी और उसके जानशींन ख़लीफ़ा का कर्तव्य ठहरा। जब गुनाहों से बचाना और तरक़्क़ी दिलाना उसका कर्तव्य ठहरा तो उसी में ग़रीबों की देखभाल भी आ गयी। क्योंकि वे भी दुनिया के एक मैल से ग्रसित होते हैं उनको बचाना उसका कर्तव्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अल्लाह तआला ने ज़कात का नियम रखा है। क्योंकि जमाअत के असहाय और ग़रीबों की देखभाल का इन्तिज़ाम करना भी ख़लीफ़ा का काम है और इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अल्लाह तआला ने ख़ुद ही इसका भी

इन्तिज़ाम कर दिया और धनाढ्य लोगों पर ज़कात अदा करना अनिवार्य कर दिया।

अतः याद रखो कि يُزَكِّيهِمْ (युज़क्कीहिम्) के यह अर्थ हुए कि वह लोगों को गुनाहों से बचाए, उनमें श्रद्धा पैदा करे और उन्हें सांसारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ाए और सदक़ा ख़ैरात इत्यादि का प्रबन्ध करके उनका सुधार करे। अन्जुमन वाले बेशक कहें क्योंकि इन कामों का प्रबन्ध एक अन्जुमन को चाहता है, मगर इसके बावजूद भी यह अन्जुमन का काम नहीं, बल्कि ख़लीफ़ा का काम है। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि यह सब बातें उसके अधीन हैं और यह सिर्फ़ बातें और ढकोसला के रंग में नहीं, बल्कि शब्दकोष और सहाबा[रज़ि॰] के कथन इसका समर्थन करते हैं। अतः मैंने तुम्हें ख़लीफ़ा के वह काम बताए हैं जो ख़ुदा तआला ने बयान किए हैं और इसकी वास्तविकता अरबी शब्दकोष और सहाबा[रज़ि॰] के सर्वसम्मत अर्थों की दृष्टि से बताई है। अतः ख़ुदा तआला ने सामूहिक रूप से एक जगह ही मुझे यह बता दिया और अपने फ़ज़्ल से सूरः बक़रः की कुंजी मुझे प्रदान की। मैंने इस राज़ और हक़ीक़त को आज समझा है कि तीन साल पहले ख़ुदा तआला ने यह आयत मेरे दिल में बिजली की तरह क्यों डाली थी? पहले मैं इस रहस्य को नहीं जानता था, लेकिन आज रहस्य खुला कि ख़ुदा की इच्छानुसार यह मेरे ही कर्तव्य और काम थे और एक समय आने वाला था कि मुझे उनको पूरा करने के लिए खड़ा किया जाना था। अतः जब यह स्पष्ट हो चुका कि ख़लीफ़ा के क्या काम हैं या दूसरे शब्दों में यह कहो कि मेरे क्या कर्तव्य हैं तो अब प्रश्न पैदा होता है कि उनको कैसे करना है? और इसी के बारे में मुझे तुमसे मशवरा करना है।

ख़िलाफ़त के उद्देश्यों की पूर्ति का क्या ढंग हो

यह तो आपको मालूम हो चुका कि ख़िलाफ़त का पहला और ज़रूरी काम तब्लीग़ है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि तब्लीग़ के क्या ढंग हों, मगर मैं तुम्हें एक और भी बात बताना चाहता हूँ जो अभी मेरे दिल में डाली गयी है कि ख़िलाफ़त के यह चारो उद्देश्य हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह की वसीयत में भी बयान किए गए हैं।

ख़लीफ़तुल मसीह की वसीयत इसी की व्याख्या है

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने अपनी वसीयत में अपने जानशीन के लिए फ़रमाया :- कि वह मुत्तक़ी (संयमी) हो, लोकप्रिय हो, विद्वान और सदाचारी हो, क़ुर्आन और हदीस का दर्स जारी रहे, इसमें يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब) और وَالْحِكْمَةَ (व अल- हिकमत) की ओर इशारा है क्योंकि यहाँ अल-किताब से तात्पर्य क़ुर्आन शरीफ़ है और अल-हिकमत से तात्पर्य बहुत से इमामों ने हदीस लिया है। इस तरह وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ (युअल्लिमु हुमुल् किताब व अल-हिकमत) का यह अर्थ हुआ कि वह क़ुर्आन और हदीस सिखाए, जो يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ (यत्लू अलैहिम् आयातिका) का विस्तृत तर्जुमा है। क्योंकि तब्लीग़ के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और मुत्तक़ी, (संयमी) सदाचारी एवं लोकप्रिय होना यह يُزَكِّيْهِمْ (अर्थात् दूसरों को बुराइयों से दूर करने) के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जो मुत्तक़ी है वही बुराइयों से दूर कर सकता है और जो खुद अमल न करेगा तो दूसरे लोग भी उसकी बात पर अमल न करेंगे। इसलिए जो क़ौम को बुराइयों से बचाने वाला होगा वह अवश्य लोकप्रिय भी होगा। इसके अतिरिक्त वसीयत में यह भी है कि वह दर गुज़र से

काम ले। मैं कहता हूँ कि इसका भी इस आयत में वर्णन है।

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (इन्नका अन्तल् अज़ीज़ुल् हकीम) में अल्लाह तआला की जो विशेषता अल-अज़ीज़ बयान हुई है उसके द्वारा ख़ुदा उसे भी प्रतिष्ठित और विजयी करेगा, जिसका परिणाम अनिवार्यतः क्षमा और दर गुज़र होगा, क्योंकि यह एक शक्ति को चाहता है अर्थात् शक्ति मिल जाए तो क्षमा और दर गुज़र से काम ले। अतः इस दुआ में अल्लाह तआला के इन नामों के रहस्य का यही अर्थ है। फिर यह बताया कि क्षमा और दर गुज़र अकारण नहीं बल्कि एक विशेष युक्तिपूर्ण विचारधारा के अन्तर्गत होगी। अतः हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह की वसीयत भी इसी आयत की व्याख्या है। अब जब यह स्पष्ट है कि क़ुर्आन मजीद ने, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने और स्वयं हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने ख़लीफ़ा के काम पहले से बता दिए हैं तो अब नई शर्तें बनाने का किसी को क्या हक़ है? गवर्नमेन्ट की शर्तों के बाद भी किसी और को कोई अधिकार नहीं होता कि वह अपनी मनगढ़त बातें पेश करे।

ख़लीफ़ा तो ख़ुदा बनाता है, फिर तुम्हारा क्या हक़ है कि तुम शर्तें पेश करो। ख़ुदा से डरो और ऐसी बातों से तोबा करो कि ये अदब से दूर हैं। ख़ुदा तआला ने ख़ुद ख़लीफ़ा के काम मुक़र्रर कर दिए हैं। अब कोई नहीं जो उनमें तब्दीली कर सके या उनके विरुद्ध कुछ और कह सके। मैं फिर कहता हूँ कि हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने भी वही बातें पेश की हैं जो इस आयत में ख़ुदा तआला ने बतायी हैं, मानो उनकी वसीयत इस आयत का अनुवाद है। अब मैं चाहता हूँ कि और व्याख्या करूँ।

तब्लीग़

ख़लीफ़ा का पहला काम तब्लीग़ है। मैं नहीं जानता कि बचपन से ही क्यों मेरे अन्दर तब्लीग़ का इतना शौक़ रहा है और इससे इतनी मुहब्बत रही है। मैं छोटी सी उम्र में भी ऐसी दुआएँ करता था और ऐसी इच्छा थी कि इस्लाम का जो भी काम हो मेरे ही हाथ से हो। मैं अपने अन्दर यह जोश पाता था और दुआएँ करता था कि इस्लाम का जो काम हो मेरे ही हाथ से हो और इतना हो-इतना हो कि क़यामत तक कोई ऐसा ज़माना न आए जिसमें इस्लाम की ख़िदमत करने वाले मेरे शागिर्द न हों। मैं नहीं जानता था कि इस्लाम की ख़िदमत का यह जोश मेरे अन्दर क्यों डाला गया। हाँ इतना जानता हूँ कि यह जोश बहुत पहले से रहा है और इसी जोश और चाहत के कारण मैंने ख़ुदा से दुआ की कि -

मेरे हाथ से तब्लीग़-ए-इस्लाम का काम हो

और मैं ख़ुदा तआला का शुक्र करता हूँ कि उसने मेरी इन दुआओं के जवाब में बड़ी-बड़ी ख़ुशख़बरियाँ दी हैं। इसलिए तब्लीग़ के काम में मुझे बड़ी दिलचस्पी है। यह मैं जानता हूँ कि ख़ुदा तआला दुआओं को क़बूल करता है और यह भी जानता हूँ कि सब दुनिया एक ही धर्म को नहीं अपना सकती और यह भी सच है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम जिस काम को नहीं कर सके, कौन है जो उसे कर सके या उसका नाम भी ले। लेकिन अगर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के किसी सेवक को यह तौफ़ीक़ दी जाए कि एक हद तक वह तब्लीग़-ए-इस्लाम के काम को करे तो यह उसकी अपनी कोई ख़ूबी नहीं, बल्कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का ही काम है। मेरे दिल में तब्लीग़ की इतनी तड़प थी कि मैं हैरान था और सामान के

लिहाज़ से बिल्कुल निहत्था। इसलिए मैं उसी के आगे झुका और दुआएँ कीं, मेरे पास था ही क्या? मैंने बार-बार दुआ की कि मेरे पास न ज्ञान है न दौलत, न कोई जमाअत है और न कोई और चीज़, जिससे मैं इस्लाम की सेवा कर सकूँ। मगर अब मैं देखता हूँ कि उसने मेरी दुआओं को सुना और ख़ुद ही सामान कर दिए और तुम्हें खड़ा कर दिया कि मेरे साथ हो जाओ। अतः आप वे लोग हैं जिनको ख़ुदा तआला ने चुन लिया और यह मेरी दुआओं का एक फल है जो उसने मुझे दिखाया। इसको देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि शेष सामान भी वह स्वयं मुहैया कर देगा और उन भविष्यवाणियों को व्यवहारिक रंग में दिखावेगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब दुनिया को हिदायत मेरे ही द्वारा मिलेगी और क़यामत तक कोई ज़माना ऐसा न आएगा जिसमें मेरे शागिर्द न हों। क्योंकि आप लोग जो काम करेंगे वह मेरा ही काम होगा। अब तुम यह समझ सकते हो कि तब्लीग़ के कामों में मेरी दिलचस्पी आज से नहीं पैदा हुई बल्कि इससे पहले भी जितना मुझे मौक़ा मिला विभिन्न प्रकारों से तब्लीग़ की कोशिश करता रहा। वह जोश और दिलचस्पी जो स्वभावतः मुझे इस काम से थी और इस काम को करने के लिए जो स्वाभाविक लगाव मेरे दिल में था, उसकी हक़ीक़त अब मुझे समझ आई है कि यह मेरे काम में शामिल था, अन्यथा जब तक अल्लाह तआला इसके लिए एक स्वाभाविक जोश मेरे अन्दर न रखता मैं कैसे इसे कर सकता था?

अब मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ कि तब्लीग़ के लिए क्या किया जाए।

मैं जो कुछ इसके बारे में इरादा रखता हूँ वह आपको बताता हूँ। तुम सोचो और ग़ौर करो कि इसको पूरा करने के क्या ढंग हो सकते हैं और उन प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप में ढालने के लिए क्या करना चाहिए?

हर भाषा के जानने वाले मुबल्लिग़ (प्रचारक) हों

मैं चाहता हूँ कि हम में ऐसे लोग हों जो हर एक भाषा के सीखने और जानने वाले हों, ताकि हम हर एक भाषा में आसानी से तब्लीग़ कर सकें। इस बारे में मेरे बड़े-बड़े इरादे और प्रस्ताव हैं और मुझे अल्लाह तआला की कृपा से पूर्ण विश्वास है कि अगर ख़ुदा ने ज़िन्दगी और तौफ़ीक़ दी और अपनी कृपा से साधन प्रदान किए और उनसे काम लेने की तौफ़ीक़ दी तो अपने समय पर प्रकट हो जाएँगे। अतः मैं तमाम् भाषाओं और तमाम् क़ौमों में तब्लीग़ का इरादा रखता हूँ, क्योंकि यह मेरा काम है कि मैं तब्लीग़ करूँ। मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा काम है और बहुत कुछ चाहता है, मगर इसके साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि ख़ुदा ही के पास से यह सब कुछ आवेगा, क्योंकि मेरा ख़ुदा हर एक चीज़ पर समर्थ है। जिसने यह काम मेरे सुपुर्द किया है वही मुझे यह ज़िम्मेदारी निभाने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। क्योंकि सारी शक्तियों का मालिक तो वह स्वयं ही है। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए बहुत से पैसों और आदमियों की आवश्यकता है, मगर उसके ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। क्या इससे पहले हम उसकी क़ुदरत के अजीब नज़ारे देख नहीं चुके? यह जगह जिसको कोई भी नहीं जानता था, उसके भेजे हुए अवतार के कारण आज दुनिया में प्रसिद्ध है और जिस तरह ख़ुदा ने उससे वादा किया था उसके अनुसार उसने लाखों रुपया उसके कामों को पूरा करने के लिए स्वयं भेज दिया। उसने उससे यह वादा किया था कि:-

يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ अर्थात् - तेरी मदद ऐसे लोग करेंगे जिनको हम स्वयं अपनी ओर से आदेश देंगे।

अतः जब मैं यह जानता हूँ कि जो काम मेरे सुपुर्द हुआ है यह

उसी का काम है मैंने उससे नहीं माँगा था, उसने स्वयं मेरे सुपुर्द किया है तो वह ख़ुद मेरी मदद के लिए उसी तरह लोगों को अपनी ओर से आदेश देगा जिस तरह मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के समय में दिया था।

अतः हे मेरे मित्रो! रुपयों के बारे में घबराने और चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रबन्ध करेगा और उन सौभाग्यवानों को मेरे पास लाएगा जो इन कामों में मेरे मददगार होंगे।

मैं पूरे विश्वास और विवेक से कहता हूँ कि इन कामों को प्रारम्भ और पूरा करने के लिए किसी गणितज्ञ की तहरीकें काम न देंगी। क्योंकि अल्लाह तआला ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ख़ुद वादा किया है कि - يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِىْ اِلَيْهِمْ

तेरी मदद वे लोग करेंगे जिनको हम अपनी ओर से आदेश देंगे। अतः हमारे लिए पैसों की ज़िम्मेदारी ख़ुद ख़ुदा तआला ने अपने ज़िम्मे ले ली है और वादा किया है कि रुपया देने की तहरीक हम ख़ुद लोगों के दिलों में करेंगे। हाँ बहुवचन का शब्द प्रयोग करके इस ओर संकेत किया है कि बहुत से लोग भी हमारी इस तहरीक को फैलाकर पुण्य कमा सकते हैं। अतः ख़ुदा ख़ुद ही हमारा ख़ज़ाना होगा, उसी के पास हमारे सब ख़ज़ाने हैं। जब उसने स्वयं वादा किया है तो हमें किस बात की चिन्ता? हाँ पुण्य कमाने का एक सुअवसर है। सौभाग्यशाली है वह, जो इससे फ़ायदा उठाता है।

हिन्दुस्तान में तब्लीग़

प्रथम - तब्लीग़ के बारे में मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का कोई शहर या देहात न रह जाए जहाँ हमारी तब्लीग़ न हो। एक भी बस्ती शेष न रहे जहाँ हमारे मुबल्लिग़ पहुँचकर ख़ुदा तआला की ओर से मसीह

मौऊद को दिए गए इस पैग़ाम को ख़ूब खोल-खोलकर न पहुँचा दें और सुना दें। यह काम छोटा और आसान नहीं, हाँ इसको छोटा और आसान कर देना ख़ुदा तआला की क़ुदरत का एक छोटा सा करिश्मा है। हमारा यह काम नहीं कि हम लोगों को मनवा दें, बल्कि हमारा काम यह है और होना चाहिए कि हम उन्हें सच्चाई खोलकर पहुँचा दें। वे मानें या न मानें यह उनका काम है। वे अगर अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी अपना कर्तव्य पूरा न करें।

इस अवसर पर मुझे एक बुज़ुर्ग का वर्णन याद आया, कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग बीस साल से दुआ कर रहे थे। वह हर रोज़ दुआ करते और सुबह उनको जवाब मिलता माँगते रहो, मैं तो कभी भी तुम्हारी दुआ क़बूल नहीं करूँगा। बीस साल बीतने पर एक दिन उनका कोई मुरीद उनके पास मेहमान के रूप में आया और उसने देखा कि पीर साहिब रात भर दुआ करते हैं और सुबह उनको यह आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी दुआ क़बूल नहीं करूँगा। यह आवाज़ उस मुरीद ने भी सुनी। तीसरे दिन उस मुरीद ने बुज़ुर्ग से कहा कि जब इस तरह का सख़्त जवाब आपको मिलता है तो फिर आप क्यों दुआ करते रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि तू बहुत बेसब्र और जल्दबाज़ मालूम होता है। बन्दे का काम है दुआ करना, ख़ुदा का काम है क़ुबूल करना। मुझे इससे क्या परवाह कि वह क़ुबूल करता है या नहीं। मेरा काम दुआ करना है तो मैं करता रहता हूँ। मैं तो बीस साल से ऐसी आवाज़ें सुन रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं घबराया और तू तीन दिन में घबरा गया। अगले दिन ख़ुदा तआला ने उससे कहा कि मैंने तेरी वे सारी दुआएँ क़ुबूल कर लीं जो तूने बीस साल में की हैं।

अतः हमारा काम पैग़ाम पहुँचा देना है, केवल इस आधार पर कि कोई क़ुबूल नहीं करता हमें अपने काम से थकना और रुकना नहीं

चाहिए। क्योंकि हमारा काम मनवाना नहीं, हमको तो अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह तआला के समक्ष हम यह कह सकें कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया।

अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को फ़रमाया :-

(अल गाशिया - 23) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

(लस्ता अलैहिम् बिमुसैतिर)

अनुवाद - कि तू लोगों पर दारोग़ा नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती मनवाए। फ़िर फ़रमाया :-

(अल बक़रः - 257) لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

(ला इकराहा फ़िद्दीन)

अनुवाद - कि धर्म में कोई ज़बरदस्ती जाइज़ नहीं।

आपका काम केवल इतना ही फ़रमाया कि :-

(अल माइदः - 68) بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

(बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका)

अनुवाद - जो पैग़ाम तुझे दिया गया है उसे पहुँचा।

इसलिए हमें अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए। जब मनवाना हमारा काम नहीं तो दूसरे के काम पर नाराज़ होकर अपना काम क्यों बन्द कर दें। हमको अल्लाह तआला के नज़्दीक कामयाब होने के लिए उसका पैग़ाम पहुँचा देना चाहिए। इसलिए ऐसा उपाय करो कि हर शहर, हर क़स्बा और हर गाँव में हमारे मुबल्लिग़ पहुँच जाएँ और धरती एवं आसमान गवाही दे दें कि तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया।

द्वितीय - हिन्दुस्तान से बाहर हर एक देश में हम अपने उपदेशक भेजें। मैं इस बात के कहने से नहीं डरता कि इस तब्लीग़ से हमारा

उद्देश्य सिलसिला अहमदिया के रूप में इस्लाम की तब्लीग़ हो। मेरा यही मत है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास रहकर अन्दर और बाहर उनसे भी यही सुना है कि आप कहा करते थे कि इस्लाम की तब्लीग़ ही मेरी तब्लीग़ है। इसलिए उस इस्लाम की तब्लीग़ करो जो मसीह मौऊद व महदी माहूद लेकर आया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी हर एक तहरीर में अपने आने का उद्देश्य बयान फ़रमाया करते थे और हम उनकी तहरीरों के बिना आज ज़िन्दा इस्लाम पेश नहीं कर सकते। अत: जो लोग मसीह मौऊद की तब्लीग़ का तरीक़ा छोड़ते हैं यह उनकी ग़लती और कमज़ोरी है। उन पर तर्क पूरा हो चुका। हज़रत साहब की एक तहरीर मिली है जो मौलवी मुहम्मद अली साहिब को ही सम्बोधित करते हुए फ़रमाया था और वह निम्नलिखित है :-

"मौलवी मुहम्मद अली साहिब को बुलाकर हज़रत अक़दस ने फ़रमाया कि हम चाहते हैं कि यूरोप अमेरिका के लोगों पर तब्लीग़ का हक़ अदा करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा में एक किताब लिखी जाए और यह आपका काम है। आजकल इन देशों में जो इस्लाम नहीं फैलता और यदि कोई मुसलमान होता भी है तो वह बहुत कमज़ोरी की हालत में रहता है। इसका कारण यही है कि वे लोग इस्लाम की हक़ीक़त को नहीं जानते और न उनके सामने इस्लाम की असल हक़ीक़त को पेश किया गया है। उन लोगों का हक़ है कि उन्हें वह वास्तविक इस्लाम दिखलाया जाए जो ख़ुदा तआला ने हम पर स्पष्ट किया है। वे विशिष्ट बातें जो ख़ुदा तआला ने इस सिलसिला में रखी हैं वे उन्हें बतानी चाहिए और ख़ुदा तआला से संवाद और संबोधन का सिलसिला उनके सामने पेश करना चाहिए और उन सब बातों को एकत्र किया जाए जिनके साथ इस ज़माने में इस्लाम की प्रतिष्ठा सम्बद्ध है। उन समस्त प्रमाणों को एक

जगह जमा किया जाए जो इस्लाम की सच्चाई के लिए ख़ुदा तआला ने हमें समझाए हैं। इस तरह एक ठोस किताब तैयार हो जाए तो उम्मीद है कि इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिले।"

(अख़बार बदर जिल्द 6 अंक 8 तिथि 21 फरवरी सन् 1907 पृष्ठ 4,13)

अब बताओ कि जब मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद यूरोप में इस्लाम की तब्लीग़ का तरीक़ा बता दिया है तो फिर किसी नए तरीक़े को अपनाने की क्या वजह है? अफ़सोस है कि जिनको इस काम के लायक़ समझकर आदेश दिया गया था वही दूसरी राह अपना रहे हैं। यह ग़लत है कि लोग वहाँ सिलसिले की बातें सुनने को तैयार नहीं। एक मित्र का पत्र आया है कि लोग सिलसिले की बातें सुनने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसी जमाअतें वहाँ पाई जाती हैं जो इन्हीं दिनों में मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी तरह रीवियू आफ रिलीजन्ज़ को पढ़कर कई पत्र आते हैं। स्वीडन और ब्रिटेन से भी आते हैं। एक आदमी ने मसीह के कश्मीर आने का लेख पढ़कर लिखा है कि इसे अलग छपवाया जाए और दो हज़ार मुझे भेजा जाए, मैं उसे फैलाऊँगा, यह एक जर्मन या अंग्रेज़ का ख़त है। ऐसे आशावादी लोग हैं जो सुनने को मौजूद हैं, मगर ज़रूरत है तो सुनाने वालों की।

मैं यूरोप में तब्लीग़ के सवाल पर आज तक ख़ामोश रहा इसका यह कारण न था कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता था। नहीं, बल्कि मैंने इहतियात से काम लिया कि जो लोग वहाँ गए हैं वे वहाँ के हालात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मैं चूँकि वहाँ नहीं गया इसलिए मुझे ख़ामोश रहना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ गए उनमें से कई ने लिखा है कि हज़रत मसीह मौऊद के बारे में लोग सुनते हैं और हमारी तब्लीग़ में हज़रत मसीह मौऊद का वर्णन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त

ख़ुद हज़रत साहब ने यूरोप में तब्लीग़ के लिए यही फ़रमाया कि इस सिलसिले की बातों को वहाँ पेश किया जाए और जो कश्फ़ आपने देखा था उसका भी यही अर्थ किया कि मेरी तहरीरें वहाँ पहुँचेंगीं। इन सब बातों पर ग़ौर करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यूरोप और दूसरे देशों में भी इस सिलसिले का प्रचार हो और हमारे मुबल्लिग़ वहाँ जाकर उन्हें बताएँ कि तुम्हारा मज़हब मुर्दा है उसमें ज़िन्दगी की रूह नहीं। ज़िन्दा मज़हब केवल इस्लाम है। जिसकी ज़िन्दगी का सुबूत इस ज़माने में भी मिलता है कि जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अवतरित हुए। तात्पर्य यह कि वहाँ भी इस सिलसिले का पैग़ाम पहुँचाया जाए और जहाँ हम अभी मुबल्लिग़ नहीं भेज सकते वहाँ पम्फ़लेट और छोटी-छोटी पत्रिकाएँ छपवाकर वितरित करें।

विज्ञापन द्वारा तब्लीग़ का जोश

चूँकि मुझे तब्लीग़ के लिए शुरू से बहुत दिलचस्पी रही है। इस दिलचस्पी के साथ अजीब-अजीब जोश और उमंगें पैदा होती रही हैं और तब्लीग़ के इस जोश ने अजीब-अजीब युक्तियाँ मेरे दिमाग़ में पैदा की हैं। एक बार सोचा कि जिस तरह विज्ञापन देने वाले व्यापारी अख़बारों में अपना विज्ञापन देते हैं, मैं भी चीन के अख़बारों में सिलसिले की तब्लीग़ का विज्ञापन दूँ और उसका शुल्क दे दूँ, ताकि एक तय अवधि तक वह विज्ञापन छपता रहे। उदाहरणत: यह कि

"मसीह मौऊद आ गया"

बड़े मोटे अक्षरों से इस शीर्षक पर एक विज्ञापन छपता रहे। तात्पर्य यह कि मैं उस जोश और लगाव का नक्शा शब्दों में नहीं खींच सकता, जो इस उद्देश्य के लिए मुझे दिया गया है। यह एक उदाहरण है उस

जोश के पूरा करने का, नहीं तो यह एक चुटकुले से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस विचार के साथ ही मुझे बेइख़्तियार हँसी आयी कि विज्ञापन के द्वारा यह तब्लीग़ भी अजीब होगी। मगर यह कोई नयी बात नहीं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी इस सिलसिले की तब्लीग़ के लिए अजीब-अजीब विचार आते थे और वे दिन-रात इसी चिन्ता में रहते थे कि यह पैग़ाम दुनिया के हर कोने में पहुँच जाए। एक बार आपने राय दी कि हमारी जमाअत का पहनावा ही अलग हो ताकि हर एक आदमी स्वयं एक तब्लीग़ हो और दोस्तों को एक-दूसरे की पहचान आसान हो। इस पर भिन्न-भिन्न प्रस्ताव होते रहे। मैं सोचता हूँ कि शायद इसी आधार पर लखनऊ के एक मित्र ने अपनी टोपी पर अहमदी लिखवा लिया। तात्पर्य यह कि तब्लीग़ हो और कोने-कोने में हो और कोई जगह शेष न रहे। यह जोश यह बातें और यह कोशिश हमारी नहीं, यह सब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही की हैं और सब कुछ उन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं।

मुबल्लिग़ कहाँ से आवें

जब हम चाहते हैं कि दुनिया के हर कोने और हर क़ौम और हर भाषा में हमारी तब्लीग़ हो तो दूसरा सवाल यह पैदा होगा कि तब्लीग़ के लिए मुबल्लिग़ कहाँ से आवें? यह वह सवाल है जिसने हमेशा मेरे दिल को दु:ख में डाला है। स्वयं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी यह तड़प रखते थे कि सच्ची निष्ठा के साथ तब्लीग़ करने वाले मिलें। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल[रज़ि॰] की भी यही इच्छा रही। इसी चाहत ने इसी जगह इसी मस्जिद में अहमदिया स्कूल की बुनियाद मुझसे रखवायी और इसी मस्जिद में बड़े ज़ोर से उसकी मुख़ालिफ़त की गयी। वह मेरी

कोई व्यक्तिगत चाहत और इच्छा न थी, बल्कि केवल सिलसिला की तरक़्क़ी के लिए मैंने यह तहरीक की थी। अन्ततः बड़े-बड़े आदमियों की मुख़ालिफ़त के बावजूद अल्लाह तआला ने उस स्कूल को क़ायम कर ही दिया। उस समय लोगों ने न समझा कि इस स्कूल की कितनी आवश्यकता है और मुख़ालिफ़त करने लगे। मैं देखता था कि उलमा के क़ायम मुक़ाम पैदा नहीं हो रहे। मेरे दोस्तो! यह छोटी मुसीबत और दुःख नहीं। क्या तुम चाहते हो कि फ़त्वा पूछने के लिए तुम नदवा और दूसरे ग़ैर अहमदी मदर्सों या उलमा से पूछते फिरो, जो तुम पर कुफ़्र के फ़त्वे दे रहे हैं? धार्मिक ज्ञानों के बिना क़ौम मुर्दा होती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मदर्सा अहमदिया की तहरीक को उठाया और ख़ुदा के फ़ज़्ल से वह मदर्सा दिन प्रतिदिन तरक़्क़ी कर रहा है। लेकिन हमें तो इस समय उपदेशकों (नसीहत करने वाले) और मुअल्लिमों की आवश्यकता है। स्कूल से पढ़े-लिखे निकलेंगे और इंशाअल्लाह फ़ायदेमन्द साबित होंगे, पर ज़रूरतें ऐसी हैं कि अभी मिलें। मेरा दिल तो चाहता है कि गाँव-गाँव हमारे उलमा और मुफ़्ती हों, जिनके द्वारा धार्मिक ज्ञानों के पठन-पाठन का सिलसिला जारी हो और कोई भी अहमदी शेष न रहे जो पढ़ा-लिखा न हो और धार्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ हो। मेरे दिल में इस काम के लिए भी अजीब-अजीब योजनाएँ हैं, अगर ख़ुदा चाहेगा तो पूरी हो जाएँगी।

अतः यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुबल्लिग़ कहाँ से आवें? चूँकि हम चाहते हैं कि हर क़ौम और हर भाषा में हमारी तब्लीग़ हो। इसलिए आवश्यकता है कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ सिखायी जाएँ। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल के जीवनकाल में ही मैंने सोचा था कि कुछ ऐसे शिक्षार्थी मिलें जो संस्कृत पढ़ें और फिर हिन्दुओं के गाँव में जाकर

कोई मदर्सा खोल दें और शिक्षा के साथ तब्लीग़ का काम भी जारी रखें और एक अवधि तक वहाँ रहें। जब इस्लाम का बीज बो जाए तो मदर्सा किसी शागिर्द के सुपुर्द करके ख़ुद किसी दूसरी जगह जाकर काम करें। तात्पर्य यह कि जिस तरह सरलता से तब्लीग़ हो सके, करें।

ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो इस्लाम की ख़िदमत के लिए निकल खड़े हों। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ख़ुदा तआला ने एक आसान तरीक़ा मेरे दिल में डाला है और वह यह है कि यहाँ एक मदर्सा हो। अतः तुम सब मिलकर इस बारे में मशवरा करो, फिर मैं ग़ौर करूँगा। मैं फिर कहता हूँ कि मैं तुम से जो मशवरा कर रहा हूँ, यह अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। क़ुर्आन मजीद में उसने कहा है कि:-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ (आले इमरान- 160)

अनुवाद- प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में उनसे परामर्श कर, फिर जब तू किसी काम के करने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो फिर अल्लाह पर भरोसा रख।

अतः तुम आपस में मशवरा करके मुझे बताओ, फिर अल्लाह तआला जो कुछ मेरे दिल में डालेगा मैं उस पर भरोसा करते हुए उसे करने का दृढ़ निश्चय करूँगा। तात्पर्य यह कि एक मदर्सा हो, उसमें एक-एक या तीन-तीन महीने के कोर्स हों और इस अवधि में भिन्न-भिन्न जगहों से लोग आवें और कोर्स पूरा करके अपने-अपने गाँवों को चले जाएँ और वहाँ जाकर अपने उस कोर्स के अनुसार तब्लीग़ का काम शुरू करें। फिर उनके बाद कुछ दूसरे लोग आवें और वे भी उसी तरह अपना कोर्स पूरा करके चले जाएँ। पूरे साल लगातार इसी तरह होता रहे। फिर इसी नियमानुसार वे लोग जो पहले साल आए थे, आते रहें। इस तरह

उनका कोर्स पूरा हो और साथ ही वे तब्लीग़ करते रहें। मैं इस काम के लिए विशेष उस्ताद नियुक्त करूँगा ताकि जो लोग इस तरह आते रहेंगे वे पढ़ते रहेंगे। यह पढ़ने का एक ऐसा ढंग है जैसा कि युद्धक्षेत्र में नमाज़ का। इस समय भी दुश्मन से युद्ध जारी है जो तीर और तलवार से नहीं बल्कि तर्कों और प्रमाणों से हो रहा है। इसलिए इन्हीं हथियारों से हमको सुसज्जित होना चाहिए और इसका यह एक उपाय है कि:-

एक साल के बाद फिर पहले लोग आवें और कोर्स ख़त्म करें। इस तरह एक-एक साल के लिए हमारे पास लोग मौजूद होंगे। यहाँ तक कि 4,5,6,7 साल तक जब तक ख़ुदा चाहे, काम करते रहें। इस अवधि में मुबल्लिग़ तैयार हो जाएँगे। यह एक उपाय है, अतः तुम सोचकर बताओ कि इस प्रकार का एक मदर्सा होना चाहिए कि नहीं।

मुबल्लिग़ों की नियुक्ति

उपदेशकों की नियुक्ति की भी आवश्यकता है, मेरी राय के अनुसार कम से कम दस हों, जिनको भिन्न-भिन्न जगहों पर भेजा जाए। जैसे कि एक स्यालकोट जाए और वहाँ जाकर दर्स दे और तब्लीग़ करे, तीन माह तक वहाँ रहे फिर दूसरी जगह चला जाए। यह तरीक़ा किसी जगह एक-आध दिन लैक्चर या नसीहत करने के बजाए ज़्यादा फ़ायदेमन्द हो सकता है।

क़ौम-ए-लूत की घटना

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की क़ौम पर जब अज़ाब आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की:-

"तब अब्रहाम नज़दीक जाकर बोला। क्या तू नेक को दुष्ट के

साथ हलाक करेगा? शायद पचास सच्चे इस शहर में हों। क्या तू उसे हलाक करेगा और उन पचास सच्चों के लिए जो उसमें रहते हैं, उस स्थान को न छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे असम्भव है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बुरे के समान हो जाएँ, यह तुझसे असम्भव है। क्या सारी दुनिया का इन्साफ़ करने वाला इन्साफ़ न करेगा? और ख़ुदावन्द ने कहा कि अगर मैं सदूम शहर के अन्दर पचास सच्चे पाऊँ तो मैं उनके लिए सारे स्थान को छोड़ दूँगा। तब अब्रहाम ने जवाब दिया और कहा कि अब देख मैंने ख़ुदावन्द से बोलने में हिम्मत की यद्यपि ख़ाक और राख हूँ। शायद पचास सच्चों से पाँच कम हों क्या उन पाँच के लिए तू सारे शहर को ख़त्म करेगा? और उसने कहा अगर मैं वहाँ पैंतालीस पाऊँ तो समाप्त न करूँगा। फिर उसने उससे कहा शायद वहाँ चालीस पाए जाएँ। तब उसने कहा कि मैं चालीस के वास्ते भी समाप्त न करूँगा। फिर उसने कहा कि मैं निवेदन करता हूँ कि अगर ख़ुदावन्द नाराज़ न हों तो मैं फिर कहूँ, शायद वहाँ तीस पाए जाएँ तो वह बोला अगर मैं वहाँ तीस पाऊँ तो मैं यह न करूँगा। फिर उसने कहा देख मैंने ख़ुदावन्द से बात करने में हिम्मत की। शायद वहाँ बीस पाए जाएँ, वह बोला मैं बीस के वास्ते भी उसे समाप्त न करूँगा। तब उसने कहा मैं निवेदन करता हूँ कि ख़ुदावन्द नाराज़ न हों तो मैं केवल अब की बार फिर कहूँ शायद वहाँ दस पाए जाएँ। वह बोला मैं दस के वास्ते भी उसे समाप्त न करूँगा।"

(पैदाइश बाब 18 आयत 23-32 मुद्रित ब्रिटिश एण्ड फारेन बाइबिल सोसायटी अनारकली लाहौर सन् 1922 ई.)

क़ुर्आन शरीफ़ में इसके बारे में फ़रमाया:-

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ (अज़्ज़ारियात - 37)

अनुवाद- हमने उसमें आज्ञापालकों का केवल एक ही घर पाया

अतः दस की बात पर मुझे यह घटना याद आयी। तो कितने अफ़सोस की बात है कि इस काम के लिए दस मौलवी भी न मिलें। यह बहुत ही रोने-गिड़गिड़ाने और दुआओं का मुक़ाम है, क्योंकि जब उलमा न हों तो दीन में कमज़ोरी आ जाती है। मैं तो बहुत दुआएँ करता हूँ कि अल्लाह इस कमी को दूर कर दे।

यह प्रस्ताव जो मैंने दिया है, क़ुर्आन मजीद ने ही इसको प्रस्तुत किया है कि-

(अत्तौबः - 122) فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

सारे मोमिन तो एक समय में इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए यह फ़रमाया कि हर इलाक़े से कुछ लोग आवें और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास रहकर दीन सीख करके अपनी क़ौम में जाकर उन्हें सिखाएँ। यह मेरा पहला मशवरा है जिसका समर्थन क़ुर्आन मजीद करता है या यों कहो कि क़ुर्आन मजीद के आदेशानुसार मेरी पहली राय है।

दूसरी राय भी क़ुर्आन मजीद की ही है जैसा कि फ़रमाया कि -

(आले इमरान - 105) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ

अनुवाद - चाहिए कि तुम में से एक ऐसी जमाअत हो जो हमेशा भलाई की ओर बुलाती रहे यह आयत उपदेशकों की एक ऐसी जमाअत का समर्थन करती है जिसका काम ही तब्लीग़ हो।

शरीअतों (धर्मविधानों) की शिक्षा

इन कामों के बाद फिर शरीअतों की शिक्षा का काम आता है जब तक क़ौम को शरीअत की जानकारी न हो और यह मालूम न हो कि उन्हें क्या करना है तो आचार-व्यवहार का सुधार करना मुश्किल होता है।

इसलिए ख़लीफ़ा के कामों में शरीअत का सिखाना और पढ़ाना आवश्यक है। मैंने एक आदमी को देखा जो बैअत करने लगा, उसको कलिमा भी नहीं आता था। इसलिए आवश्यक है कि हमारी जमाअत का कोई एक व्यक्ति भी शेष न रहे जो दीन की ज़रूरी बातें न जानता हो। इसलिए शरीअत की शिक्षा के इन्तिज़ाम की आवश्यकता है। यह काम कुछ हद तक मुबल्लिगों और उपदेशकों से लिया जाए कि वे दीन की बुनियादी और ज़रूरी बातों से क़ौम को आगाह करते रहें। मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो क़ौम के लीडर कहलाते हैं मगर नमाज़ पढ़ना नहीं जानते और कभी-कभी अजीब-अजीब तरह की ग़लतियाँ करते हैं। कोई कह देगा कि नमाज़ में रुकूअ, सज्दा, क़अदा, क़याम सब व्यर्थ हैं। मैं पूछता हूँ कि ख़ुदा ने क्यों यह फ़रमाया है कि "युअल्लिमु हुमुल् किताब" अतः यह सब आवश्यक हैं और मैं ख़ुदा के फ़ज़्ल से हर एक की हिकमत बयान कर सकता हूँ। मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को देखा है कि मोज़े में छोटा सा छेद हो जाता तो तुरन्त उसे बदल लेते। मगर अब मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे फटे हुए मोज़ों पर भी जिन पर एड़ी और पंजे का हिस्सा ही नहीं होता मसह करते चले जाते हैं। यह क्यों होता है? इसलिए कि शरीअत के आदेशों की जानकारी नहीं होती। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि वे छूट और औचित्य के सही मौक़ा और महल को नहीं जानते।

मुझे एक मित्र ने एक चुटकुला सुनाया कि किसी मौलवी ने रेशमी किनारों वाली लुंगी पहनी हुई थी और वे किनारे बहुत चौड़े थे। मैंने उनसे कहा कि रेशम पहनना तो मना है। मौलवी साहिब ने कहा कि कहाँ लिखा है? मैंने कहा कि आप लोगों से ही सुना है कि चार उँगलियों से ज्यादा न हो। मौलवी साहिब ने कहा कि चार उँगलियाँ हमारी तुम्हारी नहीं बल्कि

हजरत उमर[रज़ि॰] की, उनकी चार उँगलियाँ हमारे एक बालिश्त के बराबर थीं। इसी तरह इन्सान मनगढ़त शरीअतें बनाता है। यह डर का मुक़ाम है ऐसी बातों से बचना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब इन्सान शरीअत के आदेशों को जानता हो और दिल में ख़ुदा का ख़ौफ़ हो। यह मत समझो कि छोटे-छोटे आदेशों की अगर परवाह न की जाए तो कोई हर्ज नहीं, यह बहुत बड़ी ग़लती है। जो छोटे से छोटे हुक्म की पाबन्दी नहीं करता वह बड़े से बड़े हुक्म की भी पाबन्दी नहीं कर सकता। ख़ुदा के हुक्म सब बड़े हैं, बड़ों की बात बड़ी ही होती है। जिन आदेशों को लोग छोटा समझते हैं उनसे ग़फ़लत और बेपरवाही कभी-कभी कुफ्र तक पहुँचा देती है। ख़ुदा तआला ने कुछ छोटे-छोटे आदेश दिए हैं मगर उनकी बड़ाई में कमी नहीं आती। तालूत की घटना का वर्णन क़ुर्आन करीम में मौजूद है कि एक नहर के द्वारा क़ौम का इम्तिहान हो गया, पेट भरकर पीने वालों को कह दिया कि

(अल बक़र: - 250) فَلَيْسَ مِنِّيْ

(फ़लैसा मिन्नी)

अर्थात् -अतः वह मुझ में से नहीं।

अब एक सरसरी सोच रखने वाला आदमी तो यही कहेगा कि पानी पी लेना कौन सा जुर्म था। मगर नहीं, बल्कि अल्लाह तआला की आज्ञापालन सिखाना उद्देश्य था। वे युद्ध के लिए जा रहे थे। इसलिए यह इम्तिहान का आदेश दिया गया। अगर वे इस छोटे से आदेश का आज्ञापालन नहीं कर सकते तो फिर युद्ध के मैदान में कैसे करेंगे? अल्लाह तआला के तमाम् आदेशों में हिकमतें हैं। अगर इन्सान उनका पालन करता रहे तो फिर अल्लाह तआला ईमान नसीब कर देता है और अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल देता है (चूँकि समय ज़्यादा हो गया था आपने

फ़रमाया कि घबराना नहीं, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को भी कभी-कभी लम्बी-लम्बी तक़रीरें करने की आवश्यकता पड़ी थी। आप लोगों को जिस उद्देश्य के लिए जमा किया गया है मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह उसे समझ लें।

अतः शरीअतों के आदेशों में बड़ी-बड़ी हिकमतें छुपी होती हैं अगर उनकी हक़ीक़त मालूम न हो तो कभी-कभी बुनियादी हुक्म भी हाथ से जाते रहते हैं और फिर ग़फ़लत और सुस्ती के कारण मिट जाते हैं। किसी जेन्टलमैन ने लिख दिया कि नमाज़ किसी बेन्च या कुर्सी पर बैठकर होनी चाहिए क्योंकि पतलून ख़राब हो जाती है, दूसरे ने कह दिया कि वज़ू की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि उससे शर्ट की कफ़ें ख़राब हो जाती हैं। जब यहाँ तक नौबत पहुँची तो रुकूअ और सज्दा भी छोड़ दिया। अगर कोई उनको हिकमत सिखाने वाला होता और उन्हें बताता कि नमाज़ की हक़ीक़त यह है, वज़ू के यह-यह फ़ायदे हैं और रुकूअ और सज्दों में यह-यह रहस्य हैं तो यह मुसीबत क्यों आती और वे दीन को इस तरह क्यों छोड़ देते। मुसलमानों ने शरीअत के आदेशों की हिकमतों को सीखने की कोशिश नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग मुर्तद हो रहे हैं। अगर कोई आलिम उनको हिकमतें समझाता तो कभी नास्तिकता और मुर्तद होने का सिलसिला न फैलता।

यहाँ इसी मस्जिद वाले मकान का मालिक (यह मस्जिद वाला मकान मिर्ज़ा इमामुद्दीन वगैरह से ख़रीदा गया था-संकलनकर्ता) मिर्ज़ा इमामुद्दीन नास्तिक था जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने एक बार उनसे पूछा कि मिर्ज़ा साहिब! क्या कभी यह सोचा भी है कि इस्लाम की तरफ़ मुड़ना चाहिए? कहने लगा कि मेरी फ़ितरत बचपन से ही नेक थी लोग जब नमाज़

पढ़ते और रुकूअ और सज्दे करते तो मुझे हँसी आती थी कि यह क्या करते हैं। यह क्यों हुआ? इसलिए कि उन्हें किसी ने हिकमत न सिखाई, किसी ने इस्लामी शरीअत की हक़ीक़त से परिचित न कराया, परिणाम यह हुआ कि नास्तिक बन गया। इसलिए यह काम ख़लीफ़ा का है कि हिकमत सिखाए। चूँकि वह हर जगह तो जा नहीं सकता, इसलिए एक जमाअत हो जो उसके पास रहकर उन हिकमतों और शरीअत की हदों को सीखे, फ़िर वह उसके अनुसार लोगों को सिखाए ताकि लोग गुमराह न हों। इस ज़माने में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोग नयी-नयी विद्याएँ पढ़कर उनमें बहुत होशियार हो रहे हैं। ईसाइयों ने इस्लाम पर यह ऐतराज़ किया है कि इबादतों के साथ भौतिक चीज़ों को भी शामिल किया है। उन्हें चूँकि शरीअत की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए दूसरों को गुमराह करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि उपदेशक नियुक्त किए जाएँ जो शरीअत के आदेशों की शिक्षा दें और उनकी हिकमत से लोगों को आगाह करें।

अक़ीदों (आस्थाओं) की शिक्षा की किताब

इसके अतिरिक्त एक और ज़रूरी बात है जिसके बारे में अक्सर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहा करते थे, मगर लोगों ने उसे भुला दिया। अब मैं पुनः याद दिलाता हूँ और इन्शाअल्लाह मैं उसे याद रखूँगा और याद दिलाता भी रहूँगा कि जब तक अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल से उस काम को पूरा करने में सफल न कर दे। मैंने हज़रत साहब को अक्सर यह कहते हुए सुना था कि ऐसी किताब हो जिसमें अक़ायद-ए-अहमदिया लिखे हों। अगर ऐसी किताब तैयार हो जाए तो रोज़-रोज़ के झगड़े ख़त्म हो जाएँ और लड़ाइयाँ न हों।

मैं चाहता हूँ कि उलमा की एक कमेटी बना दूँ जो हज़रत साहब की किताबों और तक़रीरों को पढ़कर अक़ायद-ए-अहमदिया पर एक किताब लिखें और उसको प्रकाशित किया जाए। इस समय जो बहसें छिड़ती हैं, जैसे किसी ने कुफ्र और इस्लाम की बहस छेड़ दी। उससे इस प्रकार की सारी बहसों का अन्त हो जाएगा। चूँकि इस समय कोई ऐसी ठोस और व्यापक किताब मौजूद नहीं, इसलिए तरह-तरह के झगड़े रोज़ होते रहते हैं। कोई कहता है हज़रत मसीह मौऊद हज़रत मसीह नासरी से बढ़कर थे, दूसरा कहता है नहीं। इसका मूल कारण यही है कि लोगों को अक़ायद की जानकारी नहीं है। लेकिन जब उलमा की एक कमेटी के पूरे ग़ौर व फ़िक्र के बाद एक किताब ऐसी प्रकाशित हो जाएगी तो सारे उसे अपने पास रखेंगे। फिर अक़ीदों में इन्शाअल्लाह मतभेद नहीं होगा।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का नसीहत करने का ढंग

आप बहुत संक्षेप में नसीहत किया करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि आप नसीहत फ़रमा रहे हैं और ज़ुहर का वक़्त आ गया, नमाज़ पढ़ ली। फिर नसीहत करने लगे और अस्र का वक़्त आ गया फिर नमाज़ पढ़ ली। अतः आज की नसीहत उसी आदर्श का अनुसरण मालूम होती है। मैं जब यहाँ आया हूँ तो बैतुद्दुआ में दुआ करके आया था कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात न निकले जो हिदायत की बात न हो, बल्कि वह हिदायत हो और लोग उसे हिदायत समझकर मानें। मैं देखता हूँ कि समय ज़्यादा हो गया है और मैं अपने आपको रोकना चाहता हूँ मगर बातें आ रही हैं और मुझे बोलना पड़ता है। अतः मैं उन्हें ख़ुदाई तहरीक समझकर और अपनी दुआ का नतीजा मानकर बोलने पर मज़बूर हूँ। अतः अक़ायद-ए-

अहमदिया की जानकारी के लिए एक छोटी सी किताब या पम्फ़लेट की ज़रूरत है। उसके न होने की वजह से यह कठिनाई आ रही है कि किसी ने सिर्फ़ तरियाक़ुल क़ुलूब को पढ़ा और उससे एक नतीजा निकालकर उस पर अड़ गया और हक़ीक़तुल वह्यी को न देखा। दूसरा आया उसने हक़ीक़तुल वह्यी को पढ़ा और समझा कि वह उसके आधार पर उससे बहस करता है। तीसरा आता है उसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सारे इश्तिहारों को जिनकी संख्या 180 से भी अधिक है पढ़ा है वह अपनी जानकारी के अनुसार बातें करता है। उदाहरणत: मुझे अब तक मालूम न था कि इश्तिहारों की इतनी संख्या है, यह मुझे आज ही मालूम हुआ है और इन्शाअल्लाह अब मैं ख़ुद भी उन सारे इश्तिहारों को पढ़ूँगा।

इसलिए आवश्यकता है कि उलमा की एक जमाअत हो। वह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़कर और अक़ीदों के बारे में एक निष्कर्ष निकालकर एक किताब में उन्हें एकत्र करें और वे सारे अक़ीदे जमाअत के लोगों को दिए जाएँ और सब उन्हें पढ़ें और याद रखें। इससे इन्शाअल्लाह यह मतभेद जो अक़ीदों के बारे में पैदा होता है मिट जाएगा और सब का एक ही अक़ीदा होगा। अगर मतभेद होगा भी तो बहुत कम। लड़ाई-झगड़ा न होगा, जैसा कि अब हुआ। मैं यह भी कहता हूँ कि इस समय भी जो झगड़ा हुआ वह अक़ीदों के कारण नहीं। कुफ़्र व इस्लाम का बहाना है। अहमदी और ग़ैर अहमदी के प्रश्न को ख़िलाफ़त से क्या सम्बन्ध? अगर यह प्रश्न हल हो जाए तो क्या ये ऐतराज़ करने वाले ख़िलाफ़त को मान लेंगे, कभी नहीं। यह तो ग़ैर अहमदियों की हमदर्दी हासिल करने और अहमदियों को भड़काने के लिए है। भला सोचो तो सही कि अगर दो मियाँ-बीवी या भाई-भाई इस कारण से आपस में लड़कर एक दूसरे से जुदा हो जाएँ कि हमारे

पड़ोसी का क्या मज़हब है तो क्या यह अक़्लमन्दी होगी। नहीं यह विषय केवल एक आड़ है।

मेरी इच्छा

मेरा दिल चाहता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति मेरे समय में हो जाए। यह एकता के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं अपने ख़ुदा पर बड़ी-बड़ी उम्मीदें रखता हूँ अगर ख़ुदा तआला ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। शरीअत की शिक्षा का प्रबन्ध भी हो जाएगा और हिकमत भी सिखाएँगे और यह सारी बातें इन्शाअल्लाह क़ुर्आन शरीफ़ से ही बता देंगे।

लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाना

इन कामों के बाद अब लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाने का काम है। मैंने कहा है कि क़ुर्आन मजीद से बल्कि सूरः बक़रः की तर्तीब से ही मालूम होता है कि लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाने के लिए सबसे बड़ा और अचूक हथियार दुआ है। नमाज़ भी दुआ ही है। सूरः बक़रः जिसमें अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का काम बताया है उसे भी दुआ पर ही ख़त्म किया है और नमाज़ के आख़िरी हिस्से में भी दुआएँ ही हैं।

अंततः लोगों को पवित्र और सदाचारी बनाने के लिए पहली चीज़ दुआ ही है। ख़ुदा के फ़ज़्ल से मैं बहुत दुआएँ करता हूँ और तुम भी दुआओं से काम लो कि ख़ुदा तआला अधिक सामर्थ्य दे। यह भी याद रखो कि मेरी और तुम्हारी दुआओं में बड़ा अन्तर है। जैसे एक ज़िले के अफ़सर की रिपोर्ट का दूसरा असर होता है और लेफ़्टीनेन्ट गवर्नर का दूसरा और वायसराय का उससे बढ़कर। इसी तरह अल्लाह

तआला जिसको ख़िलाफ़त का पद प्रदान करता है तो उसकी दुआओं की क़ुबूलियत को बढ़ा देता है क्योंकि अगर उसकी दुआएँ क़बूल न हों तो फिर उसके अपने चयन की तौहीन होती है। तुम मेरे लिए दुआ करो कि मुझे तुम्हारे लिए और अधिक दुआ करने की तौफ़ीक़ मिले और अल्लाह तआला हमारी हर प्रकार की सुस्ती दूर करके चुस्ती पैदा करे। मैं जो दुआ करूँगा वह हर व्यक्ति की दुआ से इन्शाअल्लाह ज़्यादा असर करेगी। पवित्र और सदाचारी बनने के लिए किसी ने एक सूक्ष्म बात बयान की है और वह यह है कि इन तीन बातों का परिणाम "युज़क्कीहिम्" अर्थात् क़ुर्आन मजीद की तिलावत करे और किताब और हिकमत सिखाए, इसके बाद उस जमाअत में पवित्रता और धर्मपरायणता पैदा हो जाएगी।

फिर पवित्र और धर्मपरायण बनने का एक माध्यम यह भी है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया है और मेरा विश्वास है कि वह बिल्कुल सही है और हर शब्द उसका सच्चा है और वह यह है कि हर एक व्यक्ति जो क़ादियान नहीं आता या कम से कम आने की इच्छा नहीं रखता उसके बारे में सन्देह है कि उसका ईमान सही हो। अब्दुल हकीम के बारे में यही कहा करते थे कि वह क़ादियान न आता था। क़ादियान के बारे में अल्लाह तआला ने

إِنَّهٗ اٰوَی الْقَرْيَةَ (इन्नहू आवल् क़र्यह)

(इल्हाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तज़किरह पृष्ठ-314)

फ़रमाया है। यह बिल्कुल सच है कि यहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा वाली बरकतें नाज़िल होती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी फ़रमाते थे :-

ज़मीन-ए-क़ादियाँ अब मुहतरम है
हुजूम-ए-ख़ल्क़ से अर्ज़े हरम है

जब ख़ुदा तआला ने यह वादा किया है कि "बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूँढ़ेंगे" तो फिर जहाँ वह पैदा हुआ, जिस ज़मीन पर चलता फिरता रहा और जहाँ दफ़न हुआ क्या वहाँ बरकत नाज़िल न होगी?

यह जो अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ज़रिए यह वादा दिया कि मक्का में दज्जाल न जाएगा। क्या ज़मीन के कारण नहीं जाएगा? नहीं, बल्कि इसलिए नहीं जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम वहाँ पैदा हुए।

मैं तुम्हें सच-सच कहता हूँ कि अल्लाह तआला ने मुझे बता दिया है कि क़ादियान की ज़मीन बाबरकत है। मैंने देखा है कि एक अब्दुस्समद नामक आदमी खड़ा है और कहता है –

"मुबारक हो क़ादियान की ग़रीब जमाअत ! तुम पर ख़िलाफ़त की रहमतें या बरकतें नाज़िल होती हैं।"

यह पूरी तरह सच है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के स्थानों को देखने से दिल में एक विनम्रता पैदा होती है और दुआ के लिए एक जोश पैदा होता है। इसलिए क़ादियान में ज़्यादा आना चाहिए।

फिर दुआओं के लिए एक लगाव की ज़रूरत है। मैंने ख़ुद देखा है कि हज़रत साहब कुछ लोगों को कह दिया करते थे कि तुम एक नज़्र (भेंट) मुक़र्रर करो, मैं दुआ करूँगा। मगर हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ऐसा कहने से बचते थे और मैं ख़ुद भी बचता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यह इसलिए करते थे कि लगाव बढ़े। इस सम्बन्ध में हज़रत साहब अक्सर एक वृतान्त सुनाया करते थे कि एक आदमी के घर की बिक्री का काग़ज़ खो गया था। वह एक बुज़ुर्ग के पास दुआ कराने गया तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ करूँगा मगर पहले मेरे लिए हलवा लाओ। वह सोच में पड़ गया, मगर दुआ की ज़रूरत थी इसलिए हलवा

लेने चला गया। जब वह हलवाई की दुकान पर पहुँचा और हलवाई एक काग़ज़ पर हलवा डालकर देने लगा तो वह चिल्लाया कि इसको फाड़ो नहीं, यह तो मेरे घर की बिक्री का काग़ज़ है इसी के लिए तो वह दुआ कराना चाहता था। अतः वह हलवा लेकर गया और बताया कि घर का काग़ज़ मिल गया तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि हलवा से मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यह था कि लगाव पैदा हो। अतः दुआ के लिए एक लगाव की ज़रूरत है और इसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि ख़तों के द्वारा याद दिलाते रहो, ताकि तुम मुझे याद रहो।

युज़क्कीहिम् का दूसरा अर्थ

अब युज़क्कीहिम् का दूसरा अर्थ सुनो जिसमें ग़रीब और असहाय लोगों की देखभाल भी शामिल है। लोग यह तो नहीं जानते कि मेरे पास है या नहीं। लेकिन जब वे देखते हैं कि मैं ख़लीफ़ा बन गया हूँ तो मोहताज तो आते हैं और यह सच्ची बात है कि जो आदमी किसी क़ौम का लीडर बनेगा उसके पास मोहताज तो आएँगे। इसलिए शरीअत ने ज़कात का इन्तिज़ाम ख़लीफ़ा के सुपुर्द किया है। सारी ज़कात उसके पास आनी चाहिए ताकि वह मोहताजों को देता रहे। इसलिए यह भी मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ग़रीबों की परेशानियों को दूर करूँ। इसलिए तुम्हारी यह ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि इसमें मेरे मददगार रहो। अभी तो झगड़े ही ख़त्म नहीं हुए फिर भी कई सौ लोगों की दरख़्वास्तें आ चुकी हैं जिनका मुझे प्रबन्ध करना है। जैसा कि अभी मैं कह चुका हूँ कि यह सारा काम ख़लीफ़ा के ज़िम्मे रखा है कि वह हर प्रकार की कमज़ोरियाँ दूर करे, चाहे वे स्वास्थ्य सम्बन्धी हों या धन सम्बन्धी या वैचारिक हों या शैक्षिक। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अतः इसके प्रबन्ध

के लिए ज़कात की मद का इन्तिज़ाम होना आवश्यक है। मैंने इसके इन्तिज़ाम के लिए यह सोचा है कि ज़कात से इस प्रकार के ख़र्च हों। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह की सेवा में भी यह प्रस्ताव मैंने पेश किया था। पहले तो मैं उनसे बेधड़क बातें कर लेता था और दो-दो घंटे तक बहस करता रहता था। लेकिन जब वह ख़लीफ़ा बन गए तो मैं उनके सामने कभी चौकड़ी मारकर न बैठता चाहे मुझे कितनी तकलीफ़ होती मगर यह हिम्मत न करता और न ऊँची आवाज़ से बात करता। एक बार किसी के द्वारा मैंने कहला भेजा था कि ज़कात ख़लीफ़ा के पास आनी चाहिए। किसी ज़माने में तंगी होती थी लेकिन अब वह ज़माना नहीं। आपने कहा ठीक है। उस आदमी को कहा कि तुम मुझे ज़कात दे दिया करो। मेरा यही मज़हब है और मेरा यही अक़ीदा है कि ज़कात ख़लीफ़ा के पास जमा हो।

अतः तुम्हें चाहिए कि अपनी अन्जुमनों में ज़कात के रजिस्टर रखो और हर आदमी की आय का पता करके उसमें दर्ज करो और जो लोग पूँजीपति हों वे अनुपातानुसार पूरी ज़कात दें और वह स्थानीय अन्जुमन के रजिस्टर में दर्ज होकर सीधे मेरे पास आ जाए। उसका विधिवत् लेखा-जोखा रहे। हाँ यह भी आवश्यक है कि जिन ज़कात देने वालों के रिश्तेदार इस बात के पात्र हों कि उनकी मदद ज़कात से की जा सकती है तो ऐसे पात्रों की एक सूची यहाँ भेज दें। फिर उनके लिए उचित मदद या तो यहाँ से भेज दी जाया करेगी या वहीं से दे दिए जाने का आदेश दे दिया जाया करेगा। तात्पर्य यह कि ज़कात एक जगह जमा होनी चाहिए और फिर ख़लीफ़ा के आदेशानुसार वह ख़र्च होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर विधिवत् रजिस्टर बनाए गए और उसके जमा करने की कोशिश की गयी तो इस मद में हज़ारों रुपया जमा हो सकता है बल्कि

मुझे विश्वास है कि अगर इस तरफ़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो थोड़े ही दिनों में लाख से भी ज़्यादा रुपया जमा हो सकता है। मैं यह करूँगा कि ज़कात के विषय पर एक पम्फ़लेट लिखवाकर छपवा दूँगा। जिसमें ज़कात से सम्बन्धित सारे आदेश होंगे, मगर आपका यह काम है कि ज़कात के लिए विधिवत् रजिस्टर बनाएँ और बड़ी सावधानी और कोशिश से ज़कात जमा करें और वह ज़कात विधिवत् मेरे पास आनी चाहिए,यह मेरा एक प्रस्ताव है।

शैक्षिक उन्नति

मैंने बताया था कि يُزَكِّيهِمْ (युज़क्कीहिम्) के अर्थों में उभारना और बढ़ाना भी शामिल है। इसके अर्थों में क़ौमी तरक़्क़ी भी शामिल है और उस तरक़्क़ी में शैक्षिक उन्नति भी शामिल है, जिसमें अंग्रेज़ी स्कूल और इशाअत-ए-इस्लाम के अलावा और भी बातें आ जाती हैं। इस बारे में मेरा यह विचार है कि एक स्कूल पर्याप्त नहीं है जो यहाँ खुला हुआ है। इस केन्द्रीय स्कूल के अलावा आवश्यकता है कि कई स्थानों पर स्कूल खोले जाएँ। किसान इस स्कूल में लड़के कहाँ भेज सकते हैं। किसानों की शिक्षा भी तो मुझ पर अनिवार्य है। इसलिए मेरी यह राय है कि जहाँ-जहाँ बड़ी जमाअत है वहाँ अभी प्राइमरी स्कूल खोले जाएँ और ऐसे स्कूल यहाँ के केन्द्रीय स्कूल के अन्तर्गत होंगे।

ऐसा होना चाहिए कि जमाअत का कोई भी सदस्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष शेष न रह जाए जो लिखना-पढ़ना न जानता हो। सहाबा ने शिक्षा के लिए बड़ी-बड़ी कोशिशें की हैं। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कई बार युद्धबन्दियों की रिहाई के बदले में यह मुआवज़ा मुक़र्रर फ़रमाया कि वे निर्धारित समय तक मुसलमान बच्चों को शिक्षा

दें। जब मैं यह देखता हूँ कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम क्या भलाई लेकर आए थे तो मुहब्बत के जोश से दिल भर जाता है। आपने कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं छोड़ी बल्कि हर मामले में हमारी रहनुमाई की है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ने भी उन्हीं पगचिन्हों पर चलकर हर ऐसे विषय की ओर ध्यान दिलाया है जो किसी भी पहलू से लाभदायक हो सकता है।

अतः शिक्षा की तरक़्क़ी के लिए पहले प्राइमरी स्कूल खोले जाएँ। उन सारे स्कूलों में क़ुर्आन मजीद पढ़ाया जाए और अमली (व्यवहारिक) दीन सिखाया जाए, नमाज़ की पाबन्दी कराई जाए, मोमिन किसी मामले में पीछे नहीं रहता। इसलिए शिक्षा के मामले में हमें जमाअत को पीछे नहीं रखना चाहिए। अगर इस उद्देश्य के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल खोले जाएँगे तो गवर्नमेंट से भी मदद मिल सकती है।

जमाअत की आर्थिक उन्नति

शिक्षा के साथ-साथ यह भी ध्यान देने योग्य विषय है कि जमाअत की आर्थिक उन्नति भी हो। उनको ग़रीबी और माँगने से बचाया जाए। जो तब्लीग़ और पढ़ाने-लिखाने के लिए लोग जाएँ उनका यह कर्तव्य हो कि वे जमाअत की आर्थिक उन्नति का भी ध्यान रखें और यहाँ रिपोर्ट करते रहें और देखते रहें कि कोई अहमदी सुस्त तो नहीं है। अगर कोई सुस्त पाया जाए तो उसे कारोबार की ओर ध्यान दिलाया जाए, उन्हें विभिन्न व्यवसायों और कलाओं की ओर प्रेरित किया जाए। जब विधिवत् इस प्रकार की सूचनाएँ मिलती रहेंगी तो जमाअत के सुधार की त्वरित कोशिश और उपाय हो सकेंगे।

कर्मठता की आवश्यकता

जब मैंने इन बातों पर ग़ौर किया तो देखा कि यह बहुत बड़ा मैदान है। मैंने सोचा कि बातें तो बहुत कीं अगर काम में सुस्ती हो तो फिर क्या होगा और दूसरी तरफ़ सोचा कि अगर चुस्ती हो तो फिर दूसरी प्रकार की समस्याएँ हैं। हज़रत उमर[रज़ि॰] और हज़रत उस्मान[रज़ि॰] की ख़िलाफ़त पर ग़ौर किया तो मालूम हुआ कि हज़रत उमर[रज़ि॰] चल फिर कर बहुत जानकारी प्राप्त कर लिया करते थे। जो लोग कहते हैं कि हज़रत उस्मान[रज़ि॰] का क़सूर था वे झूठे हैं। हज़रत उस्मान[रज़ि॰] बहुत बूढ़े थे वह चल फिर कर वे काम नहीं कर सकते थे जो हज़रत उमर[रज़ि॰] कर लेते थे। फिर मैंने सोचा कि मेरा अपना तो कुछ भी नहीं जिस ख़ुदा ने लोगों के सुधार के लिए ये बातें मेरे दिल में डाली हैं वही मुझे सामर्थ्य भी दे देगा और मुझे देगा तो मेरे साथ वालों को भी देगा।

अतः आर्थिक उन्नति के लिए स्कूल खोले जाएँ और मर्कज़ी नुमाइन्दे अपने दौरों में इस बात को विशेष रूप से दृष्टिगत रखें कि जमाअतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, शैक्षिक और आर्थिक स्तर में क्या तरक़्क़ी हो रही है, आचार-व्यवहार की पाबन्दियों में जमाअत की कैसी हालत है, परस्पर प्रेम और भाईचारे की दृष्टि से वे कितनी तरक़्क़ी कर रहे हैं, उनमें परस्पर मनमुटाव और झगड़े तो नहीं? यह तमाम् बातें जिन पर उपदेशकों को नज़र रखनी होगी और इसकी विस्तारपूर्वक रिपोर्टें मेरे पास आती रहें।

कॉलेज की ज़रूरत

जब भिन्न-भिन्न जगहों पर स्कूल खोले जाएँगे तो इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारा अपना एक कालेज हो। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल की भी यही इच्छा थी। कालेज ही के दिनों में कैरेक्टर बनता है। स्कूल के टाइम में तो चाल-चलन का एक नक्शा खींचा जाता

है और उस पर मज़बूत दीवार तो कालेज लाइफ में ही बनती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने नौजवानों के जीवन को फ़ायदेमन्द और असरकारक बनाने के लिए अपना एक कालेज बनाएँ। अत: तुम इस बारे में सोच-विचार करो, मैं भी ग़ौर कर रहा हूँ। यह ख़लीफ़ा के काम हैं जिनको मैंने संक्षिप्त रूप से बयान किया है। इनको विस्तार से समझो और इनके भिन्न-भिन्न भागों पर ग़ौर करो तो मालूम हो जाएगा कि अन्जुमन की क्या हैसियत है? और ख़लीफ़ा की क्या? मैं यह पूरे दावे से कहता हूँ कि न कोई अन्जुमन इस प्रकार की है और न ऐसा दावा कर सकती है, न हो सकती है और न ख़ुदा ने कभी कोई ऐसी अन्जुमन भेजी।

अन्जुमन और ख़लीफ़ा की बहस

कुछ लोग कहते हैं कि ख़लीफ़ा ने अन्जुमन का हक़ हड़प लिया है, फिर कहते हैं कि यह लोग शिया हैं। जब मैं इन बातों को सुनता हूँ तो मुझे अफ़सोस होता है कि इन लोगों को क्या हो गया है। कहते हैं कि बेटे को ख़िलाफ़त क्यों मिल गयी? मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी वली या नबी का बेटा होना ऐसा जघन्य अपराध है कि उसको ख़ुदा के फ़ज़्ल का कोई हिस्सा न मिले और वह कोई पद-प्रतिष्ठा न पाए? अगर यह सच है तो फिर नऊज़ुबिल्लाह किसी नबी या वली का बेटा होना एक लानत ठहरा न कि बरकत। क्या नबी औलाद की इच्छा व्यर्थ ही किया करते थे? क्या आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मसीह मौऊद के यहाँ औलाद होने की भविष्यवाणी व्यर्थ ही की थी? क्या ख़ुदा तआला ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से जो वादे किए वे बरकत के वादे न थे? और यदि यह पीरपरस्ती है कि कोई बेटा वारिस हो तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि पीर की औलाद को रुसवा किया जाए ताकि

हम पर पीरपरस्ती का इल्ज़ाम न आए। अतः प्रतिष्ठा और महानता के दावे कितने सही समझे जाएँ।

यह शर्म करने का स्थान है सोचो और ग़ौर करो। मैं तुम्हें खोलकर कहता हूँ कि मेरे दिल में यह इच्छा कभी न थी। फिर अगर तुमने मुझे गन्दा समझकर मेरी बैअत की है तो याद रखो कि तुम अवश्य पीरपरस्त हो, लेकिन अगर ख़ुदा तआला ने तुम्हें पकड़कर झुका दिया है तो फिर किसी को क्या?

यह कहना कि मैंने अन्जुमन का हक़ हड़प लिया है बहुत अशोभित बात है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ख़ुदा तआला का यह वादा था कि मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। अब इन लोगों की सोच के अनुसार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इच्छा यह थी कि अन्जुमन ही वारिस है और ख़लीफ़ा तो उनके दिमाग़ में भी न था, तो बताओ कि क्या इस बात के कहने से तुम अपनी बात से यह साबित नहीं कर रहे कि नऊज़ुबिल्लाह ख़ुदा ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इच्छा को पूरा न होने दिया।

सोचकर बताओ कि शिया कौन हुए? शिया भी तो यही कहते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की यह इच्छा थी कि हज़रत अली[रज़ि॰] ख़लीफ़ा हों, उनके वहम व गुमान में भी न था कि अबू बकर[रज़ि॰] उमर[रज़ि॰] और उस्मान[रज़ि॰] ख़लीफ़ा हों। तो जिस तरह उनकी आस्था के अनुसार ख़िलाफ़त के बारे में लोगों ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इच्छा को बदल दिया उसी तरह यहाँ भी हुआ। अफ़सोस! क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कोई प्रतिष्ठा और महानता तुम्हारे दिलों में है जो तुम यह कहना चाहते हो कि वह अपनी इच्छा में नऊज़ुबिल्लाह नाकाम रहे। ख़ुदा से डरो और तौबा करो।

फिर एक तहरीर लिए फिरते हैं और उसकी फोटो छपवाकर बाँटते फिरते हैं, यह भी वही शिया वाले क़िरतास (तहरीर) के ऐतराज़ का नमूना है। वे कहते हैं कि हज़रत उमर ने काग़ज़ न लाने दिया अगर काग़ज़ आ जाता तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ज़रूर हज़रत अली की ख़िलाफ़त का फ़ैसला कर जाते। उसी तरह ये लोग कहते हैं कि अफ़सोस काग़ज़ लिखकर भी दे गए फिर भी कोई नहीं मानता, बताओ शिया कौन हुआ। मैं कहता हूँ कि अगर वह तहरीर होती तो क्या होता, वही कुछ होना था जो हो गया। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने लिखवाया और शियाओं को ख़लीफ़ा सानी (हज़रत उमर[रज़ि॰]) पर ऐतराज़ का मौक़ा मिला। यहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखकर दिया और अब उसके ज़रिया उसके ख़लीफ़ा सानी (मिर्ज़ा महमूद) पर ऐतराज़ किया जाता है।

स्मरण रहे कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर जो ऐतराज़ होते हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उनको दूर करने आए थे। जैसे यह ऐतराज़ होता था कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फ़ैलाया गया है मगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आकर दिखा दिया कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, बल्कि वह अपनी रौशन शिक्षाओं और निशानों के द्वारा फैला है। इसी तरह काग़ज़ की हक़ीक़त मालूम हो गयी। सुन लो! ख़ुदा तआला के मुक़ाबले में काग़ज़ की क्या हैसियत होती है? और मैं यह भी तुम्हें खोलकर सुनाता हूँ कि काग़ज़ ख़ुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी नहीं हो सकता।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल फ़रमाया करते थे कि एक शिया हमारे उस्ताद जी के पास आया और हदीस की एक किताब खोलकर उनके सामने रख दी। उस्ताद जी ने उसे पढ़कर पूछा क्या है? शिया ने

कहा आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इच्छा हज़रत अली[रज़ि०] की ख़िलाफ़त के बारे में मालूम होती है। फ़रमाया, मेरे उस्ताद जी ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया कि हाँ आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इच्छा तो थी मगर ख़ुदा की इच्छा इसके ख़िलाफ़ थी। इसलिए वह इच्छा पूरी न हो सकी। मैं उस तहरीर के बारे में फिर कहता हूँ कि अगर कोई कहे तो यह जवाब दूँगा कि हक़ीक़तुल वह्यी में एक जानशींन का वादा किया है और यह फ़रमाया है कि خَلِيْفَةٌ مِنْ خُلَفَاءِهٖ (ख़लीफ़तुन् मिन् ख़ुलफ़ायिही)। अर्थात् उसके ख़लीफ़ाओं में से एक ख़लीफ़ा होगा। इसलिए हड़पने का शोरशराबा बिल्कुल ग़लत और व्यर्थ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को यह इल्हाम हुआ था कि -

سپردم بتو مائیہ خویش را   تو دانی حساب کم و بیش را ✶

(इल्हाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 1908 ई)

एक नेक आदमी भी अमानत में ख़ियानत नहीं कर सकता और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह तआला ने स्वयं यह दुआ करायी। अब क्या नऊज़ुबिल्लाह तुम यह समझते हो कि ख़ुदा ने ख़यानत की? तौबा करो, तौबा करो।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ख़ुदा पर इतना बड़ा भरोसा कि देहान्त के निकट उपरोक्त इल्हाम होता है और फिर ख़ुदा ने नऊज़ुबिल्लाह यह अजीब काम किया कि अमानत ग़ैर हक़दार को दे दी। ख़ुदा तआला ने ख़लीफ़ा मुक़र्रर करके दिखा दिया कि "सुपुर्दम ब तू माय:-ए-ख़वीश रा" के इल्हाम के अनुसार क्या ज़रूरी था? फिर मैं पूछता हूँ कि क्या ख़ुदा गुमराही करवाता है? कदापि नहीं। ख़ुदा

✶अनुवाद- मैंने अपनी पूँजी तेरे सुपुर्द की है थोड़ा-बहुत हिसाब तू जानता है। (अनुवादक)

तआला तो अपने रसूलों और ख़लीफ़ाओं को इसलिए भेजता है कि वे लोगों को गुमराही से बचाएँ और उन्हें शुद्ध करें। यही कारण है कि नबियों की जमाअत गुमराही पर क़ायम नहीं होती। अगर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसी गन्दी जमाअत पैदा की जो गुमराही पर इकट्ठी हो गयी तो फिर नऊज़ुबिल्लाह अपने मुँह से उनको झूठा ठहराओगे, तक़्वा से काम लो।

लेकिन अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ख़ुदा की ओर से थे और अवश्य थे तो फिर याद रखो कि यह जमाअत गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। मेरा ईमान है कि कोई भी मसीह आकर क़ुर्आन शरीफ़ के क़ानून को नहीं तोड़ सकता, जो आएगा क़ुर्आन का सेवक बनकर आएगा उस पर हाकिम बनकर नहीं और यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अक़ीदा था और यही व्याख्या है आपके इस कथन की कि-

"वह है मैं चीज़ क्या हूँ"

यह तो मुख़ालिफ़ों पर एक प्रमाण है कि मसीह मौऊद क़ुर्आन करीम की सच्चाई साबित करने आया था उसे झूठा ठहराने नहीं। उसने अपने काम से दिखा दिया कि वह क़ुर्आन मजीद का ग़ल्बा साबित करने के लिए आया था।

क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि -

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ (आले इमरान - 160)

अनुवाद - तू अल्लाह की विशेष दया के कारण उनके लिए नरम हो गया है और यदि तू क्रुद्ध स्वभाव और कठोर हृदयी होता तो वे तेरे पास से अवश्य दूर भाग जाते। अतः तू उन्हें माफ़ कर और उनके लिए बख़्शिश

की दुआ कर और हर एक महत्त्वपूर्ण विषय पर उनसे मशवरा कर।

(ख़लीफ़ा राबे तरजुमातुलक़ुर्आन से, अनुवादक)

शासन का ढंग क्या होना चाहिए ?

फिर कहते हैं कि ख़लीफ़ा के शासन करने का ढंग क्या हो? इसका फैसला ख़ुदा तआला ने कर दिया है। तुम्हें हक़ नहीं कि तुम ख़लीफ़ा के लिए शर्तें और क़ानून बनाओ या उसके कर्तव्य समझाओ। अल्लाह तआला ने जहाँ उसके उद्देश्य बताए हैं वहाँ क़ुर्आन मजीद में उसके काम करने का ढंग भी बता दिया है कि :-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

एक मज्लिस शूरा क़ायम करो, उनसे मशवरा लेकर ग़ौर करो, फिर दुआ करो। जिस पर अल्लाह तआला तुम्हें क़ायम कर दे उस पर क़ायम हो जाओ चाहे वह उस मज्लिस के मशवरा के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो, ख़ुदा तआला तुम्हारी मदद करेगा। ख़ुदा तआला ख़ुद कहता है कि जब दृढ़ संकल्प कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। अर्थात् डरो नहीं, अल्लाह तआला ख़ुद तुम्हारी सहायता और समर्थन करेगा। यह लोग चाहते हैं कि ख़लीफ़ा की मर्ज़ी कुछ भी हो या ख़ुदा तआला उसे किसी बात पर क़ायम करे, मगर वह चन्द आदमियों की राय के ख़िलाफ़ न करे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मुस्लेह मौऊद के बारे में फ़रमाया है कि "वह होगा एक दिन महबूब मेरा" उसका भी यही मतलब है। क्योंकि ख़ुदा तआला भरोसा करने वालों को अपना दोस्त बनाता है, जो लोगों से डरता है वह ख़लीफ़ा नहीं हो सकता, उसे तो मानो सत्ता का लालच है कि ऐसा न हो कि मैं किसी आदमी के ख़िलाफ़ करूँ तो वह नाराज़ हो जाए। ऐसा आदमी तो मुश्रिक होता है और यह एक

लानत है। ख़लीफ़े ख़ुदा मुक़र्रर करता है और स्वयं उनके डर को दूर करता है। जो व्यक्ति दूसरों की मर्ज़ी के अनुसार हर समय एक नौकर की तरह काम करता है उसको डर क्या? उसमें तौहीदपरस्त वाली कौन सी बात है। हालाँकि ख़लीफ़ाओं के लिए यह ज़रूरी है कि ख़ुदा उन्हें बनाता है और उनके ख़ौफ़ को अमन में बदल देता है और वे ख़ुदा ही की इबादत करते हैं और शिर्क नहीं करते।

अगर नबी को एक आदमी भी न माने तो उसकी नबूवत में फ़र्क़ नहीं आता बल्कि वह नबी ही रहता है, यही हाल ख़लीफ़ा का है। अगर उसको सब छोड़ दें फिर भी वह ख़लीफ़ा ही रहता है। क्योंकि जो आदेश मूल का है वही शाख़ का। यह स्मरण रखो कि यदि कोई व्यक्ति सत्ता पाने के लिए ख़लीफ़ा बना है तो वह झूठा है और अगर समाज सुधार के लिए ख़ुदा की ओर से काम करता है तो वह ख़ुदा का प्यारा और उसका दोस्त है, चाहे सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए। मशवरा की इस आयत में क्या ही रहस्यपूर्ण आदेश है।

उस मशवरे का क्या फ़ायदा जिस पर अमल नहीं करना

कुछ लोग ऐतराज़ करते हैं कि अगर मशवरा लेकर उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं तो उस मशवरे का क्या फ़ायदा है। वह तो एक व्यर्थ काम बन जाता है और यह नबियों और वलियों की शान के ख़िलाफ़ है कि कोई व्यर्थ काम करें। इसका जवाब यह है कि मशवरा व्यर्थ नहीं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी एक बात सोचता है, दूसरे को उससे अच्छी बात सूझ जाती है। इसलिए मशवरा से यह फ़ायदा होता है कि भिन्न-भिन्न लोगों के विचार सुनकर इन्सान को अच्छी राय क़ायम करने का मौक़ा मिलता है। जब एक आदमी कई आदमियों से

राय पूछता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें से कोई ऐसा मशवरा दे देता है जो उसे मालूम नहीं था। जैसा कि आमतौर पर लोग जब अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं तो क्या उसे ज़रूर मान भी लिया करते हैं। फिर अगर मानते नहीं तो क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि शायद कोई बेहतर बात मालूम हो सके। इसलिए मशवरा लेने से यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि उस मशवरे को अवश्य माना जाए, बल्कि यह उद्‌देश्य होता है कि सम्भव है कि बहुत से लोगों के विचार सुनकर कोई और लाभदायक बात मिल सके और यह भी याद रखना चाहिए कि इस आयत فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (फ़ इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह) में मशवरा लेने वाला मध्यम पुरुष एक वचन है अगर निर्णय पूरी मज्लिस शूरा का होता तो इस तरह आदेश होता فَاِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلُوْا عَلَى اللّٰهِ (फ़ इज़ा अज़म्तुम फ़तवक्कलू अलल्लाह) कि अगर तुम सब लोग एक बात पर क़ायम हो जाओ तो अल्लाह पर भरोसा करके काम शुरू कर दो। मगर यहाँ सिर्फ़ उस मशवरा लेने वाले को कहा कि तू जिस बात पर क़ायम हो जाए उसे अल्लाह पर भरोसा करके शुरू कर दे। यहाँ सिर्फ़ यह कहा है कि लोगों से मशवरा ले, यह नहीं कहा कि उनकी बहुलता देख और जिस पर बहुमत हो उसको मान ले। यह तो लोग अपनी ओर से मिला लेते हैं। क़ुर्आन करीम में कहीं नहीं लिखा कि फिर वोट लिए जाएँ और जिधर बहुमत हो उस राय के अनुसार काम करे, बल्कि यूँ फ़रमाया है कि लोगों से पूछ और भिन्न-भिन्न मशवरों को सुनकर तू जिस बात का दृढ़ संकल्प करे उस पर अमल कर (अज़म्ता का अर्थ यह है कि तू जिस बात का दृढ़ संकल्प करे) और किसी से न डर बल्कि ख़ुदा तआला पर भरोसा कर।

एक अजीब रहस्य

شَاوِرْهُمْ (शाविरहुम) के शब्द पर ग़ौर करो। इससे ज्ञात होता है कि मशवरा लेने वाला एक है दो नहीं और जिनसे मशवरा लेना है वे कम से कम तीन या उससे अधिक हों। फिर मशवरा लेने वाला उस मशवरे पर ग़ौर करे, फिर उसे हुक्म है कि فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह) कि जिस बात का दृढ़ संकल्प करे उसको पूरा करे और किसी की परवाह न करे।

हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहो अन्हो के ख़िलाफ़त काल में इस अज़्म (दृढ़ संकल्प) का एक सुन्दर उदाहरण मिलता है। जब लोग मुर्तद होने लगे तो मशवरा दिया गया कि आप इस टुकड़ी को रोक लें जो कमाण्डर उसामा के नेतृत्व में जाने वाली थी तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस टुकड़ी को आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने भेजा है मैं उसे वापिस नहीं कर सकता। अबू क़हाफ़ा के बेटे की ताक़त नहीं कि ऐसा कर सके। सिर्फ़ हज़रत उमर और कुछ को रोक लिया जो उसी टुकड़ी में जा रहे थे।

मैं यह एक मस्लहत से कहता हूँ

फिर ज़कात के सम्बन्ध में कहा गया कि मुर्तद होने से बचाने के लिए उनको माफ़ कर दो। उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को ऊँट बाँधने की एक रस्सी भी देते थे तो वह भी लूँगा और अगर तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ और मुर्तद होने वालों के साथ जंगल के ख़ूँख़्वार दरिन्दे भी मिल जाएँ तो मैं अकेला उन सब से लड़ूँगा। यह दृढ़ संकल्प का नमूना है फिर क्या हुआ तुम जानते हो? ख़ुदा तआला ने कामियाबियों का एक दरवाज़ा खोल दिया। याद रखो जब ख़ुदा से इन्सान डरता है तो फिर लोगों का रौब उसके दिल पर असर नहीं कर सकता।

शिर्क का मसला कैसे समझा दिया

मुझे अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से शिर्क का मसला ख़ूब अच्छी तरह से समझा दिया है और एक स्वप्न के द्वारा उसे हल कर दिया है। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं बहिश्ती मक़बरा गया हूँ और वहाँ से वापिस आते हुए एक बड़ा समुद्र देखा जो पहले न था। उसमें एक नाव थी मैं उसमें बैठ गया उसमें दो आदमी और हैं। एक जगह पहुँचकर नाव भंवर में चक्कर खाने लगी। फिर उस समुद्र में से एक सिर ऊपर निकला और उसने कहा कि यहाँ एक पीर साहिब की क़ब्र है तुम उनके नाम एक पर्चा लिखकर डाल दो ताकि यह नाव सही सलामत पार निकल जाए। मैंने कहा, यह कदापि नहीं हो सकता। वे आदमी जो साथ हैं उनमें से किसी ने कहा कि जाने दो क्या हर्ज है पर्चा लिखकर डाल दो जब बच जाएँगे तो फिर तौबा कर लेंगे, मैंने कहा यह कदापि नहीं होगा। इस पर उसने छुप कर ख़ुद पर्चा लिखकर डालना चाहा, मैंने देख लिया और उसे पकड़कर फाड़ना चाहा। वह छुपा रहा था अन्ततः इस खींचतान में समुद्र में गिर पड़े, मगर मैंने वह पर्चा लेकर फाड़ डाला और फिर नाव पर बैठ गया तो मैंने देखा कि वह नाव उस भंवर से निकल गयी। उस खुली-खुली हिदायत के बाद मैं ख़ुदा की पनाह चाहता हूँ कि इन लोगों से डरूँ। मैं दुआ करता हूँ कि यह नाव जिसमें मैं अब सवार हूँ इस भंवर से निकल जाए और मुझे विश्वास है कि अवश्य निकल जाएगी।

उम्र छोटी है

ख़िलाफ़त का इन्कार करने वाले यह भी कहते हैं कि उम्र छोटी है। इस पर मुझे एक ऐतिहासिक घटना याद आ गई। कूफ़ः वाले बड़ी शरारत करते थे, जिस गवर्नर को वहाँ भेजा जाता वे थोड़े दिनों के बाद उसकी शिकायतें करके उसको वापिस भेज देते। हज़रत

उमर[रज़ि॰] फ़रमाया करते थे, जब तक हुकूमत में कोई ख़राबी न पैदा हो उनकी मानते जाओ। अन्ततः जब उनकी शरारतें हद से गुज़रने लगीं तो हज़रत उमर[रज़ि॰] ने वहाँ इब्ने अबी लैला नामक एक गवर्नर भेजा। जिनकी आयु 19 वर्ष थी। जब यह वहाँ पहुँचे तो वे लोग इधर-उधर कानाफूसियाँ करने लगे कि क्या उमर[रज़ि॰] की अक़्ल मारी गयी है जो उसने एक लड़के को गवर्नर बनाकर भेज दिया है और उन्होंने आपस में मशवरा करके यह प्रस्ताव पास किया कि گربہ کُشتن روز اوّل।पहले ही दिन इस गवर्नर को डाँटना चाहिए और उन्होंने मशवरा करके यह तय किया कि पहले ही दिन उससे उसकी उम्र पूछी जाए। जब दरबार लगा तो एक आदमी बड़ा गंभीर चेहरा बनाकर आगे बढ़ा और बढ़कर गवर्नर साहिब से कहा, हज़रत आपकी उम्र क्या है? इब्ने अबी लैला ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जब सहाबा के लश्कर पर उसामा[रज़ि॰] को अफ़्सर बनाकर शाम की तरफ़ भेजा था तो जो उस समय उसकी उम्र थी उससे मैं दो साल बड़ा हूँ (उसामा की उम्र उस समय 17 वर्ष की थी और बड़े-बड़े सहाबा उनके मातहत किए गए थे) कूफ़ः वालों ने जब यह जवाब सुना तो ख़ामोश हो गए और कहा कि इसके ज़माने में शोर न करना। इससे यह भी हल हो जाता है कि छोटी उम्र वाले की भी आज्ञा का पालन करें जब वह अगुवा हो। हज़रत उमर[रज़ि॰] जैसे इन्सान को भी उस 17 वर्ष के नौजवान उसामा के मातहत कर दिया गया था। मैं भी उसी रंग में जवाब देता हूँ कि मेरी उम्र तो इब्ने अबी लैला से भी 7 वर्ष अधिक है।

एक और ऐतराज़ का जवाब

एक और ऐतराज़ करते हैं मगर ख़ुदा तआला ने इसका जवाब भी तेरह सौ वर्ष पहले ही दे दिया था। कहते हैं شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ (शाविरहुम फ़िल् अम्र) तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को आदेश दिया गया था, ख़िलाफ़त कहाँ से निकल आयी। लेकिन यह लोग याद रखें कि हज़रत अबूबकर[रज़ि०] पर जब ज़कात के बारे में ऐतराज़ हुआ तो वह भी इसी तरह का था कि

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (अत्तोबः - 103)

(ख़ुज़ मिन् अम्वालिहिम सदकतन्) यह नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया गया था, अब वह रहे नहीं और किसी का हक़ नहीं कि वह ज़कात वसूल करे जिसे लेने का हुक्म था वह देहान्त पा गया है। हज़रत अबूबकर ने यही जवाब दिया कि इस हुक्म से अब मैं मुख़ातिब हूँ और उसी की आवाज़ बनकर ऐतराज़ करने वाले को कहता हूँ कि अब मैं मुख़ातिब हूँ। अगर उस समय यह जवाब सच्चा था तो यह भी सच्चा है जो मैं कहता हूँ। अगर तुम्हारा ऐतराज़ सही है तो इस पर क़ुर्आन मजीद से बहुत से आदेश तुमको निकाल देने पड़ेंगे और यह खुली-खुली गुमराही है।

एक आश्चर्यजनक बात

मैं तुम्हें एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूँ जिससे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ख़ुदा तआला के कामों में अन्तर नहीं होता। इश्तिहार सब्ज़ में मेरे बारे में ख़ुदा के हुक्म से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह शुभसूचना दी है कि ख़ुदा की वह्यी ने मेरा नाम "ऊलुल" अज़्म रखा है और इस आयत में फ़रमाया فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (फ़ इज़ा अज़म्ता फ़ तवक्कल अलल्लाह) इससे मालूम होता है कि मुझे इस

आयत पर अमल करना पड़ेगा, फिर मैं इसको कैसे रद्द कर सकता हूँ।

क्या ख़िदमत की है ?

फिर एक प्रश्न यह पैदा होता है कि उसने क्या ख़िदमत की है? इस प्रश्न का हल तो उसामा वाली बात में ही मौजूद है। उसामा की ख़िदमतें कितनी थीं कि वह बड़े-बड़े सहाबा पर अफ़्सर बना दिया गया। ख़िलाफ़त तो ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल से निलती है वह जिसे चाहता है दे देता है। हाँ उसका यह काम व्यर्थ नहीं होता। फिर ख़ालिद बिन वलीद, अबू उबैदा, अम्र बिन आस, सअद बिन वक़्क़ास इत्यादि ने जो ख़िदमतें कीं उनके मुक़ाबले में हज़रत उमर की क्या ख़िदमतें प्रस्तुत कर सकते हैं मगर ख़लीफ़ा तो हज़रत उमर हुए वे न हुए, ख़ुदा तआला से बेहतर अन्दाज़ा कौन लगा सकता है।

आयत "इस्तिख़्लाफ़"

जब मैंने आयत इस्तिख़्लाफ़ पर ग़ौर किया तो मुझे इसके बहुत ही रहस्यपूर्ण अर्थ समझाए गए, जिन पर ग़ौर करने से बड़ा आनन्द मिला। अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ (अन्नूर - 56)

يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا (यअबुदूननी ला तुश्रिकूना बी

शैआ) का एक अर्थ तो मैं अपने ट्रेक्ट में लिख चुका हूँ जो "कौन है जो ख़ुदा के काम को रोक सके" के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसका एक दूसरा अर्थ भी ख़ुदा तआला ने मुझे समझाया है और वह यह है कि इस आयत में पहले तो ख़ुदा तआला के वादे का वर्णन किया गया है कि وَعَدَ اللّٰهُ (वादल्लाहो)। फिर ख़िलाफ़त देने के वादे को(अरबी व्याकरण के अनुसार लाम-ए-ताकीद और नून-ए-ताकीद से) अनिवार्य ठहराया और बताया कि ख़ुदा ऐसा करेगा और अवश्य करेगा। फिर बताया कि ख़ुदा अवश्यमेव उन ख़ुलफ़ा को दृढ़ता प्रदान करेगा। फिर फ़रमाया कि ख़ुदा अवश्यमेव उनके ख़ौफ़ को अमन में बदल देगा। तात्पर्य यह कि(अरबी व्याकरण के अनुसार) तीन बार लाम-ए-ताकीद और नून-ए-ताकीद लगाकर इस बात पर बल दिया है कि ऐसा ख़ुदा ही करेगा और उसमें किसी का दख़ल न होगा। फिर इसका उद्देश्य बताया कि ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔـا (यअबुदूननी ला तुश्रिकूना बी शैआ) उसके परिणामस्वरूप वे मेरी इबादत करेंगे और किसी को मेरा साझीदार न ठहराएँगे अर्थात् अगर इन्सानी कोशिश से ख़लीफ़ा बने तो ख़लीफ़ा को लोगों के गिरोह से दबते रहना पड़ेगा कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। इसलिए सब कुछ हम ही करेंगे ताकि शिर्क ख़ुलफ़ा के निकट भी न आ सके और जब ख़लीफ़ा उस समय दूसरी ताक़त को देखेगा जिसके द्वारा ख़ुदा ने उसे ख़लीफ़ा बनाया है तो उसे तनिक भी सन्देह पैदा न होगा कि इसमें किसी दूसरे का भी हाथ है तो इसका नतीजा यह होगा कि يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔـا (यअबुदूननी ला तुश्रिकूना बी शैआ)

अनुवाद - वे मेरी इबादत करेंगे और किसी चीज़ को मेरा साझीदार न ठहराएँगे।

यह अर्थ मुझे ख़ुदा तआला ने बताया है। अतः ख़लीफ़ा ख़ुदा मुक़र्रर करता है और कोई नहीं जो इसको मिटा सके।

कुछ लोग कहते हैं कि अगर ख़लीफ़े न हों तो क्या मुसलमानों की नजात न होगी? जब ख़िलाफ़त न रही तो फिर इस समय के मुसलमानों का हल क्या होगा? यह एक धोखा है देखो क़ुर्आन मजीद में वज़ू के लिए हाथ धोना ज़रूरी है लेकिन अगर किसी का हाथ कट जाए तो उसका वज़ू बिना हाथ धोए ही हो जाएगा। अब अगर कोई आदमी किसी ऐसे हाथ कटे आदमी को पेश करके कहे कि देखो इसका वज़ू हो जाता है या नहीं? जब यह कहें कि हाँ हो जाता है तो वह कहे कि बस अब मैं भी हाथ न धोऊँगा तो क्या वह सच पर होगा? हम कहेंगे कि उसका हाथ कट गया मगर तेरा तो मौजूद है। अतएव ऐतराज़ करने वालों के लिए यही जवाब है। हम उन्हें कहते हैं कि एक ज़माने में अत्याचारी बादशाहों ने तलवार के ज़ोर से ख़िलाफ़त को मिटा दिया। चूँकि हर एक काम एक अवधि के बाद मिट जाता है। अतः जब ख़िलाफ़त तलवार के ज़ोर से मिटा दी गयी तो किसी पर गुनाह नहीं कि वह ख़लीफ़ा की बैअत क्यों नहीं करता। मगर इस समय वह कौन सी तलवार है जो हमको क़याम-ए-ख़िलाफ़त से रोकती है। अब भी अगर कोई हुकूमत ज़बरदस्ती ख़िलाफ़त के सिलसिला को रोक दे तो यह ख़ुदा का काम कहलाएगा और लोगों को रुकना पड़ेगा। लेकिन जब तक ख़िलाफ़त में कोई रोक नहीं आती उस समय तक कौन ख़िलाफ़त को रोक सकता है और उस समय जब कोई ख़लीफ़ा हो तो जो ख़िलाफ़त का इन्कार करेगा तो वह उसी आदेश के अन्तर्गत आएगा जो अबूबकर उमर उस्मान के इन्कार करने वालों का है। हाँ जब ख़िलाफ़त ही न हो तो उसके ज़िम्मेदार तुम नहीं। चोर की सज़ा क़ुर्आन करीम में हाथ काटना है। अब अगर इस्लामी

हुकूमत नहीं और चोर का हाथ नहीं काटा जाता तो यह कोई क़सूर नहीं। ग़ैर इस्लामी सरकार इस आदेश की पाबन्द नहीं।

मौजूदा इन्तिज़ाम में दिक़्क़तें

अब यह देखना है कि मौजूदा इन्तिज़ाम में क्या दिक़्क़तें आ रही हैं। अन्जुमन के कुछ मेम्बर जिन्होंने बैअत नहीं की वे अपनी ही राय को अन्जुमन ठहराकर कहते हैं कि अन्जुमन जानशींन है। दूसरी तरफ़ एक आदमी दावा करता है कि मुझे ख़ुदा ने ख़लीफ़ा बनाया है और घटनाओं ने उसका समर्थन भी किया कि जमाअत की एक बड़ी तादाद को उसके सामने झुका दिया। अब अगर दो परस्पर विपरीत कार्य करने वाले रहे तो फूट पड़ेगी और एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकतीं।

इसलिए तुम ग़ौर करो और मुझे राय दो कि क्या करना चाहिए। इस राय से मेरा उद्देश्य شَاوِرْهُمْ (शाविरहुम) पर अमल करना है। अन्यथा आदेश فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (फ़ इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह) मेरे सामने है। मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि अगर कोई मेरा साथ न दे तो ख़ुदा मेरे साथ है।

मैं एक बार पुनः इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि अगर कोई बात माननी ही नहीं तो मशवरा का क्या फ़ायदा? यह बहुत छोटी सी बात है कि जब एक आदमी सोचता है तो उसके दिमाग़ में थोड़ी सी बातें आती हैं लेकिन अगर दो हज़ार आदमी क़ुर्आन मजीद की आयतों पर ग़ौर करके उसके अर्थ एक सभा में बयान करें तो उनमें से कुछ ग़लत भी होंगे लेकिन इसमें भी तो सन्देह नहीं कि उनमें से बहुत से सही भी होंगे, अतः सही अर्थ स्वीकार कर लिए जाएँगे और ग़लत छोड़ दिए जाएँगे। इसी तरह ऐसे मशवरों में जो मशवरे सही होंगे वे स्वीकार कर

लिए जाएँगे। एक आदमी इतने सारे प्रस्ताव नहीं सोच सकता। एक ही समय में एक विषय पर बहुत से आदमी सोचेंगे तो इन्शाअल्लाह कोई फ़ायदेमन्द रास्ता निकल आएगा।

फिर मशवरा से यह भी तात्पर्य है कि तुम्हारी सोचने की शक्तियाँ व्यर्थ न हों, बल्कि क़ौमी कामों में मिलकर तुम में चिंतन और काम करने की ताक़त पैदा हो। इसके अतिरिक्त एक और बात यह है कि इस प्रकार के मशवरों से भविष्य में लोग ख़िलाफ़त के लिए तैयार होते रहते हैं। अगर ख़लीफ़ा लोगों से मशवरा ही न ले तो यह परिणाम निकले कि क़ौम में कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही न रहे और अगला ख़लीफ़ा मूर्ख ही हो, क्योंकि उसे कभी काम करने का मौक़ा नहीं दिया गया। हमारी पिछली हुकूमतों में यही कमी थी। शाही ख़ानदान के लोगों को मशवरा में शामिल न किया जाता था जिसका परिणाम यह निकलता कि उनके दिमाग़ मुश्किलों के समाधान के अभ्यस्त न होते थे और धीरे-धीरे हुकूमत चली जाती थी। इसलिए मशवरा लेने से यह भी उद्देश्य है कि प्रतिभावान् लोगों की धीरे-धीरे तरबियत हो सके ताकि आगे आने वाले समय में वे काम सँभाल सकें। जब लोगों से मशवरा लिया जाता है तो लोगों को सोचने का मौक़ा मिलता है और इससे उनकी सलाहियतें निखरती हैं। ऐसे मशवरे में यह भी फ़ायदा होता है कि हर आदमी को अपनी राय के छोड़ने में आसानी होती है और स्वभावों में ज़िद और हठधर्मी नहीं पैदा होती।

इस समय जो कठिनाइयाँ हैं वे इस प्रकार की हैं कि बाहर से पत्र आते हैं कि उपदेशक भेज दो। अब जो अन्जुमन के मुलाज़िम हैं उन्हें कौन भेजे? अन्जुमन तो ख़लीफ़ा के मातहत है नहीं। हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल मुलाज़िमों को भेज देते थे और वे ऑन ड्यूटी समझे जाते थे। हमारे पास काम करने वाले आदमी थोड़े हैं इसलिए यह कठिनाइयाँ सामने

आती हैं। या एक आदमी इसलिए आता है कि मुझे अमुक आवश्यकता है इसलिए मुझे कुछ दो। पिछले दिनों मुंगेर वालों ने लिखा कि यहाँ मस्जिद का झगड़ा है और जमाअत कमज़ोर है, मदद करो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मैंने देखा है कि मस्जिदों के बारे में बड़ी एहतियात करते। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह भी बड़ी कोशिश किया करते थे। कपूरथला की मस्जिद का मुकदमा था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर मैं सच्चा हूँ तो यह मस्जिद अवश्य मिलेगी। अब ऐसे मौक़े पर मैं तो यह पसन्द नहीं कर सकता कि उनकी मदद न की जाए, इसलिए मुझे रुपया भेजना ही पड़ा। या उदाहरण के तौर पर कोई और फ़ित्ना हो और कोई मानने वाला न हो तो क्या हो। इस प्रकार की कठिनाइयाँ इस मतभेद के कारण सामने आ रही हैं और आएँगी। अल्लाह तआला से मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं मुझे दृढ़ विश्वास है कि वह चमत्कारिक रूप से कोई ताक़त दिखाएगा। लेकिन यह भौतिक जगत है इसलिए मुझको भौतिक चीज़ों से भी काम लेना चाहिए।

मैं जो कुछ करूँगा ख़ुदा के ख़ौफ़ से करूँगा। मुझे इस बात की परवाह न होगी कि ज़ैद या बकर उसके बारे में क्या कहता है। अत: मैं फिर कहता हूँ कि अगर मैं ख़ुदा से डरकर करता हूँ, अगर मेरे दिल में ईमान है कि ख़ुदा है तो फिर मैं जो कुछ करता हूँ नेकनीयती से कर रहा हूँ और करूँगा और यदि मैं नऊज़ुबिल्लाह ख़ुदा से नहीं डरता तो फिर तुम कौन हो कि मैं तुमसे डरूँ। मैं तुमसे केवल मशवरा पूछता हूँ कि इन कठिनाइयों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है?

लोग कहते हैं कि ख़लीफ़ा ने अन्जुमन को कभी कोई आदेश नहीं दिया लेकिन मैं सेक्रेटरी के दफ़्तर पर खड़ा हूँ शायद ही कोई एजेण्डा निकला होगा जिसमें "ख़लीफ़तुल मसीह के आदेशानुसार" न लिखा हो।

यह वृत्तान्त बड़ी अधिकता से मौजूद हैं और इसके प्रमाण में अन्जुमन के रजिस्टर और कार्यवाहियाँ मौजूद हैं उस समय दफ़्तर सेक्रेटरी के हेड क्लर्क मुंशी मुहम्मद नसीब साहिब ने खड़े होकर बुलन्द स्वर में कहा कि :-

मैं गवाही देता हूँ कि यह बिल्कुल सत्य है

इस प्रकार के आरोप व्यर्थ हैं और घटनाओं के विरुद्ध हैं। हाँ इस समय कुछ कठिनाइयाँ सामने आयी हैं और आगे दूसरी आवश्यकताएँ भी सामने आयेंगी। इसनिए मैंने उचित समझा कि मित्र ग़ौर करें। मैंने इस मौजूदा मतभेद के बारे में कुछ प्रस्ताव सोचे हैं मेरी अनुपस्थिति में इन पर ग़ौर किया जाए और मुझे सूचित किया जाए, ताकि हर आदमी आज़ादी से राय दे सके। आप लोग इन निम्नलिखित प्रस्तावों पर ग़ौर करें :-

(क) ख़लीफ़ा और अन्जुमन के झगड़े निपटाने का बेहतर ढंग क्या है। अन्जुमन से यह तात्पर्य है कि अन्जुमन के वे मेम्बर जिन्होंने बैअत नहीं की और अपने आपको अन्जुमन कहते हैं, इसलिए मैंने अन्जुमन कहा है केवल बैअत करने वाले ही राय दें।

(ख) जिन लोगों ने मेरी बैअत कर ली है मैं उन्हें आदेश देता हूँ कि वे हर प्रकार का चन्दा मेरे माध्यम से दें। यह फ़ैसला मैंने एक रोअया(स्वप्न) के आधार पर किया है जो 08 मार्च सन् 1907 का है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने हाथ की लिखी हुई अपनी कापी में दर्ज है। उसके आगे-पीछे हज़रत साहिब के अपने इल्हाम भी दर्ज हैं और वह कापी अब भी मौजूद है। यह एक लम्बी ख़्वाब है जिसमें मैंने देखा कि मुहम्मद चिराग़ की तरफ़ से एक पार्सल मेरे नाम आया है उस पर लिखा है, महमूद अहमद। परमेश्वर उसका भला करे। जब उसको खोला तो वह रुपयों से भरा हुआ सन्दूक बन गया। एक

कहने वाला कहता है कि कुछ तुम रख लो, कुछ हज़रत साहब को दे दो, कुछ सदर अन्जुमन अहमदिया को दे दो। फिर हज़रत साहब कहते हैं कि महमूद कहता है कि "कश्फ़ी रंग में आप मुझे दिखाए गए और चिराग़ का अर्थ सूरज समझाया गया तो मुहम्मद चिराग़ का यह अर्थ हुआ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) जो कि सूरज है उसकी ओर से यह आया है।"

अतः यह सात वर्ष पहले की एक रोअया (स्वप्न) है और हज़रत साहिब के अपने हाथ की लिखी हुई है जिससे साफ़ मालूम होता है कि किसी समय सदर अन्जुमन अहमदिया को मेरे माध्यम से रुपया मिलेगा, हमें जो कुछ मिलता है आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए जो रुपया आता है वह मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ही भेजते हैं। हज़रत साहिब को देने से यह अभिप्राय मालूम होता है कि आपके पैग़ाम को फैलाने में ख़र्च किया जाए। क़ुर्आन शरीफ़ की ऐसी आयतों के सहाबा ने यही अर्थ किए हैं। यह एक सच्ची ख़्वाब है नहीं तो क्या मैंने 6 साल पहले इन बातों को अपनी तरफ़ से गढ़ लिया था और ख़ुदा तआला ने उसे पूरा भी कर दिया। नाऊज़ुबिल्लाह

इसलिए जिन्होंने मेरे हाथ पर बैअत किया है उन्हें हर प्रकार के चन्दे मेरे पास भेजने चाहिए।

(ग) जब तक अन्जुमन का पूरी तरह निर्णय न हो जाए, इशाअत-ए-इस्लाम और ज़कात का रुपया मेरे ही पास आना चाहिए जो उपदेशकों और कुछ अन्य उन समसामयिक आवश्यकताओं के लिए ख़र्च होगा जो इशाअत-ए-इस्लाम से सम्बन्ध रखती हैं या ज़कात के ख़र्चों से सम्बन्धित हैं।

(घ) मज्लिस शूरा का ऐसा ढंग हो कि उसमें सारी जमाअत का

मशवरा हो। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और उनके जानशींन ख़लीफ़ाओं के ज़माने में ऐसा ही होता था। क्या वजह है कि रुपया तो क़ौम से लिया जाए और उसके ख़र्च करने के बारे में क़ौम से पूछा भी न जाए, हो सकता है कि कुछ मामले विशिष्ट हों, उनके अतिरिक्त सारी जमाअत से मशवरा होना चाहिए। इसलिए सोचना यह है कि इस मशवरे का क्या ढंग हो।

(ड) इस समय इस बात की भी आवश्यकता है कि अन्जुमन में दो मेम्बर और हों। क्योंकि कभी-कभी ऐसी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं कि उनका निर्णय नहीं होता और अब मतभेद के कारण ऐसी कठिनाइयों का पैदा होना अधिक संभव है। इसके अलावा मुझे भी जाना पड़ता है और वहाँ कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए दो नहीं बल्कि तीन मेम्बर और होने चाहिए और ये मेम्बर आलिम (विद्वान) होने चाहिएँ।

(छ) हमारे मित्रों को चाहिए कि जहाँ कहीं झगड़ा-फ़साद हो, वहाँ जाकर दूसरों को समझाएँ और उसको दूर करें। इसके लिए केवल अपनी बुद्धि और ज्ञान पर ही भरोसा न करें बल्कि ख़ुदा तआला के दिए हुए सामर्थ्य और उसकी कृपा को प्रधानता दें और इसके लिए बहुत अधिक दुआएँ करें। अतः अपने-अपने इलाक़ों में घूम-फिरकर कोशिश करो और ज़रूरी हालतों से मुझे अवगत कराते रहो।

यह वे विषय हैं जिन पर आप लोगों को ग़ौर करना चाहिए। इनमें फ़ैसला इस तरह पर हो कि यहाँ जो मौलवी सैयद मुहम्मद अहसन साहिब रहते हैं जिनका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल भी सम्मान किया करते थे और वह अपनी विद्वता और जमाअत की सेवा के कारण इस योग्य हैं कि हम उनका सम्मान करें, वह इस जलसा-ए-शूरा के सभापति हों। मैं इस जलसा में

न हूँगा ताकि हर आदमी आज़ादी से बात कर सके। जो बात पारस्परिक मशवरा और बहस के बाद तय हो वह लिख ली जाए, फिर मुझे उससे सूचित कर दो। दुआओं के बाद ख़ुदा तआला जो मेरे दिल में डालेगा उस पर अमलदरामद होगा। किसी मामले पर ग़ौर करते और राय देते समय तुम यह बिल्कुल न सोचो कि तुम्हारी बात ज़रूर मानी जाए, बल्कि तुम ख़ुदा तआला की ख़ुशी पाने के लिए सच्चे दिल से एक मशवरा दे दो। अगर वह ग़लत भी होगा तो भी तुम्हें ख़ुदा की ओर से सवाब(प्रतिफल) मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी यह समझता है कि उसकी बात अवश्य मानी जाए तो फिर उसको कोई सवाब (प्रतिफल) नहीं मिलेगा।

मेरे इन मशवरों के अलावा नवाब साहिब के मशवरों पर ग़ौर किया जाए शेख़ याक़ूब अली साहिब ने भी कुछ मशवरे लिखे हैं। उनमें से तीन के पेश करने की मैंने इजाज़त दे दी है उन पर भी ग़ौर किया जाए।

मैं पुनः कहता हूँ कि मौलवी साहिब का उनके ज्ञान और रुतबा के लिहाज़ से जो दर्जा है वह तुम जानते हो। हज़रत साहिब भी उनका सम्मान किया करते थे। इसलिए हर आदमी जो बोलना चाहे वह मौलवी साहिब से इजाज़त लेकर बोले। एक बोल चुके तो फिर दूसरा फिर तीसरा बोले। ऐसा न हो कि एक ही समय में दो-तीन खड़े हो जाएँ। जिसको वह अनुमति दें वही आदमी बोले। नवाब साहिब या मुंशी फ़र्ज़न्द अली साहिब उस मज्लिस के सेक्रेट्री के काम को अपने ज़िम्मे लें, वह लिखते जाएँ और किसी मामले पर जो बातचीत हो उसका आख़िरी नतीजा सुना दिया जाए। अगर किसी विषय पर दो राय हों तो दोनों को लिख लिया जाए। अब आप सब दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ क्योंकि फिर लोगों ने अभी भोजन करना है। क़ादियान के सब लोग मिलकर खाना खिलाएँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ न हो, पानी का प्रबन्ध अच्छी तरह से

हो। ख़ुद भी दुआ करें, मेहमान भी दुआ करें। सफर की दुआ क़ुबूल होती है। इस मशवरा और दुआ के साथ जो काम होगा वह ख़ुदा की तरफ़ से होगा।